ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – ೫೭೦ ೦೦೬.

Karnataka State Open University
Manasagangothri, Mysore - 570 006.

हिन्दी साहित्य का इतिहास और व्याकरण

M. A. Previous HINDI
Course / Paper - IV

व्याकरण

वर्ण विचार
संधि और समास
शब्द–भेद
संज्ञा, वचन और लिंग
कारक और सर्वनाम
विशेषण
संबंध सूचक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादिबोधक
क्रिया
संयुक्त क्रिया
अर्थ – कृदंत और तद्धित
वाच्य
उपसर्ग और प्रत्यय
क्रिया विशेषण
वाक्य विचार

BLOCK - 6

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ **1986**

ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ..... ವಿದ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಬದಲು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವವರ ಬಳಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ.

ಡಾ || ಕುಳಂದೈಸ್ವಾಮಿ

The Open University system has been initiated in order to augment opportunities for higher education and as an instrument of democratising education.

National Education Policy 1986

The Open University system makes use of Multi-media in distance education system. ..... it is a vehicle which transports knowledge to the place of learners rather than transport people to the place of learning.

Dr. Kulandai Swamy

हिन्दी एम .ए . प्रीवियस - प्रथम पत्र

KSOU
MGM -06

Hindi
Paper / Course - IV

ब्लाक सं

6

" हिन्दी व्याकरण "

Unit No. 5 to 8 अनुक्रमणिका : -	Page No.

इकाई 5 कारक और सर्वनाम	1 - 24
इकाई 6 विशेषण	25 - 50
इकाई 7 क्रिया	51 - 68
इकाई 8 संयुक्त क्रिया	69 - 88

पाठ्यक्रम अभिकल्प तथा संपादकीय समिति

प्रो.एम.जी.कृष्णन
कुलपति तथा अध्यक्ष
क. रा. मु. वि. विद्यालय,
मैसूर - 6

प्रो.एस.एन.विक्रमराज अरस
डीन (शैक्षणिक) - संयोजक
क रा. मु. वि. विद्यालय
मैसूर - 6

डॉ. शशिधर. एल. जी — संपादक
रीडर,
हिन्दी विभाग,
मैसूर विश्वविद्यालय,
मानस गंगोत्री
मैसूर - 6

बी. जी. चन्द्रलेखा — संयोजिका
अध्यक्षा, हिन्दी विभाग (से.नि.)
क. रा. मु. वि. विद्यालय
मैसूर - 6

पाठ्यक्रम के लेखक — **ब्लाक - 8**

डॉ. वी. डी. हेगडे,
रीडर, हिन्दी विभाग, (से.नि.) — इकाई 5 - 8 तक
मैसूर विश्वविद्यालय,
मानस गंगोत्री
मैसूर - 6

कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर शैक्षणिक अनुभाग द्वारा निर्मित।
सभी अधिकार सुरक्षित। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना, इस कार्य के किसी भी अंश को किसी भी रूप में अनुलिपित या किसी अन्य माध्यम द्वारा प्रतिकृति नहीं किया जाएगा।
कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पर अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मानस गंगोत्री, मैसूर - 6 से प्राप्त की जा सकती है।
कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से ***रजिस्ट्रार***
(प्रशासन) द्वारा मुद्रित व प्रकाशित।

ब्लाक परिचय

प्रिय विद्यार्थि - बन्धु

आपने ब्लाक 1 के अंतर्गत इकाई 01 में वर्ण विचार, इकाई 02 में संधि और समास, इकाई 03 में शब्द - भेद और इकाई 04 में संज्ञा के वचन और लिंग के बारे में अध्ययन किया है।

प्रस्तुत ब्लाक के अंतर्गत इकाई 5 में कारक और सर्वनाम, इकाई 6 में विशेषण, इकाई 7 में क्रिया तथा इकाई 8 में संयुक्त क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

शुभकामनाओं के साथ,

डॉ.कांबले अशोक
अध्यक्ष,
हिन्दी अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग
क. रा. मु. वि. विद्यालय,
मैसूर - 6

BLOCK - 06

Unit 05

कारक और सर्वनाम

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 मूलपाठ - कारक और सर्वनाम

5.2.1 कारक

5.2.1.1 कारक और विभक्ति

5.2.1.2 परसर्ग

5.2.1.3 कारकों के प्रकार

5.2.1.3.1 कर्ता कारक

5.2.1.3.2 कर्म कारक

5.2.1.3.3 करण कारक

5.2.1.3.4 संप्रदान कारक

5.2.1.3.5 अपादान कारक

5.2.1.3.6 संबंध कारक

5.2.1.3.7 अधिकरण कारक

5.2.1.3.8 संबोधन कारक

5.2.2 सर्वनाम

5.2.2.1 पुरुषवाचक सर्वनाम

5.2.2.2 निश्चयवाचक सर्वनाम

5.2.2.3 निजवाचक सर्वनाम

5.2.2.4 संबंधवाचक सर्वनाम

5.2.2.5 प्रश्नवाचक सर्वनाम

5.2.2.6 अनिश्चयवाचक सर्वनाम

5.3 सारांश

5.4 बोध - प्रश्न

5.5 बोध - प्रश्नों के उत्तर - संकेत

5.6 परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

5.7 उत्तर- संकेत

5.8 अध्ययन - सामग्री

5.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य है - हिन्दी भाषा की प्रकृति और संरचना में कारक और सर्वनाम की भूमिका समझना, 'ने' 'का/के/की' - परसर्गों का सही प्रयोग करने में सक्षम होना और कारक के विश्लेषण से हिन्दी के आधारभूत वाक्य - सांचों की जानकारी पाना ।

5.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में कारक एवं सर्वनाम पर विचार किया जाएगा । कारक और विभक्ति में अंतर भी स्पष्ट किया जाएगा । प्रयोग एवं लेखन की दृष्टि से विभक्ति के दो प्रकार हैं - विश्लिष्ट और संश्लिष्ट । संज्ञा के साथ आनेवाली विभक्तियाँ उससे पृथक् रहती हैं । अतः विश्लिष्ट कहलाती हैं । जैसे : राम ने, श्याम को, गोपाल का, घर में, पेड़ पर, हाथ से । जो विभक्तियाँ सर्वनाम के साथ मिली होती हैं, वे संश्लिष्ट कहलाती हैं । जैसे :- उसने, मेरा, तुमको, मुझको, किसीसे ।

5.2 मूलपाठः कारक और सर्वनाम

प्रस्तुत इकाई का प्रतिपाद्य दो उपपाठों में विभक्त किया जाता है, प्रथम उपपाठ (5.2.1) में कारक और द्वितीय उपपाठ (5.2.2) में सर्वनाम की परिभाषा, प्रकार, प्रयोग - आदि का निरूपण किया जाता है ।

5.2.1 कारक

'कारक' भाषा का अंतरगं होता है; विभक्ति बहिरंग । कारक-विधान अर्थ-तत्व पर आधारित होता है तो विभक्ति-प्रयोग या परसर्ग-योजना शब्द-नियोजन पर । एक ही विभक्ति में अलग अलग कारक आ सकते हैं । यथा 'मुझसे लिखा जाता है'। (तृतीया विभक्ति, कर्ता कारक) । ' कलम से लिखा जाता है। ' (तृतीया विभक्ति, करण कारक)

5.2.1.1 कारक और विभक्ति

'कारक' का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो । उदाहरण के लिए - 'पिता ने पुत्र को अपनी जेब से दो रूपये दिये' इस वाक्य में 'दिये' क्रिया के साथ अन्य शब्दों के संबंध देखिए । 'पिता ने दिये। पुत्र को दिये। जेब से दिये। रूपये दिये।' यहाँ 'ने, को, से' परसर्ग या कारक-चिह्न हैं।

पं. कामता प्रसाद गुरु का कहना है कि ' संज्ञा (या सर्वनाम) के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे कारक कहते हैं।' ऊपरी वाक्य में 'पिता ने' 'पुत्र को' 'जेब संज्ञाओं का संबंध 'दिये' क्रिया के साथ स्थापित होता है । 'पिता ने' 'पुत्र को' 'जेब से' और 'दस रूपये' संज्ञाओं के कारकीय रूप हैं । कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाये जाते हैं, उन्हें विभक्तियाँ (या विभक्ति प्रत्यय) कहते है । ऊपरी वाक्य में 'ने' 'को' 'से' विभक्ति-प्रत्यय या कारक-चिह्न हैं । विभक्ति के योग से बने हुए रूप विभक्त्यन्त शब्द या पद कहलाते हैं । ऊपरी वाक्य में 'पिता ने' 'पुत्र को' 'जेब से' विभक्त्यन्त पद हैं। इसे इस प्रकार दिखाया जा सकता है :-

कारक	विभक्ति
पिता ने कर्त्ता कारक	ने - प्रथम विभक्ति का प्रत्यय
पुत्र को - संप्रदान कारक	को - चतुर्थी विभक्ति का प्रत्यय
जेब से - अपादान कारक	से - पंचमी विभक्ति का प्रत्यय
दस रूपये - कर्मकारक	(कर्म कारक का चिह्न 'को' लुप्त है ।)

कारक और विभक्ति में यह अंतर है कि क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के अन्वय (संबंध) को कारक कहते हैं और उनके जिस रूप से यह अन्वय सूचित होता है उसे विभक्ति कहते हैं । कारक और विभक्ति अलग अलग हैं, जैसे :- घर गिरा, किसान घर बनाता है, घर बनाया जाता है, लड़का घर गया । इन वाक्यों में 'घर' शब्द किया के साथ अलग अलग संबंध सूचित करता है, यथाः

वाक्य	कारक	विभक्ति
घर गिरा	'घर' क्रिया (गिरा) का कर्ता है । कर्ताकारक	(घर) प्रथमा विभक्ति
किसान घर बनाता है।	'घर' क्रिया (बनाता है) का कर्म है । कर्मकारक	(घर) द्वितीया विभक्ति
घर बनाया जाता है।	'घर' क्रिया (बनाया जाता है) का कर्म है। कर्म कारक	(घर) प्रथमा विभक्ति
लड़का घर गया।	'घर' क्रिया (गया) का स्थानवाचक शब्द है । 'घर' - गत्यर्थक कर्म	(घर) द्वितीया विभक्ति

हिन्दी में आठ कारक हैं । किस कारक के साथ किस विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए - इसका विवरण निम्नलिखित है :

क्र. सं.	कारक	विभक्तियाँ (विभक्ति-प्रत्यय)
1	कर्ता	ने
2	कर्म	को
3	करण	से
4	संप्रदान	को
5	अपादान	से
6	संबंध	का-के-की
7	अधिकरण	में, पर
8	संबोधन	हे, अजी, अहो, अरे

संस्कृत में केवल छः कारक और सात विभक्तियाँ मानी जाती हैं । 'संबंध' और 'संबोधन' को कारक नहीं माना जाता । अतः छः कारक हो गए । संबोधन विभक्ति को प्रथमा के अंतर्गत रखा जाता है । अतः सात विभक्तियाँ हो गई। षष्ठी विभक्ति संबंध को प्रकट करती है । संज्ञा का संबोधन - रूप प्रथमा से ही प्रकट होता है । किंतु कामता प्रसाद गुरु ने हिन्दी में आठ कारक और आठ विभक्तियाँ मानी हैं ।

5.2.1.2 परसर्ग

'ने, को, से, का-के-की, में, पर' - इत्यादि कारक-चिह्न ही परसर्ग कहलाते हैं। 'पर' का अर्थ है 'पीछे' 'सर्ग' का अर्थ 'जोड़' । ये कारक-चिह्न संज्ञा और सर्वनाम के पीछे जुड़ते हैं । अतः 'परसर्ग' कहे जाते हैं ।

हिन्दी में परसर्ग वही कार्य करते हैं, जो कार्य संस्कृत में विभक्ति प्रत्ययों से किया जाता है । जैसे :- अहं नयनाभ्यां पश्यामि ।

मैं आँखों से देखता हूँ ।

विभक्ति-प्रत्यय लगने से संस्कृत में कारक-रचना होती है। हिन्दी में परसर्ग लगने से कारक बनता है । यथा - रामम् (सं.) = राम को

रामस्य (सं.) = राम का

परसर्ग या कारक - चिह्न संज्ञा से हटकर लिखा जाता है। यथा:- घर में, राम को ।

हिन्दी में परसर्ग दो प्रकार के हैं - विकारी और अविकारी 'ने, को, से, में, पर' - ये अविकारी परसर्ग हैं अर्थात् इनमें कोई विकार या रूपांतर नहीं होता ।

'का, रा, ना, सा' - ये विकारी या रूपांतरशील परसर्ग हैं, यथा :-

राम का घर, राम के बेटे, राम की पुस्तक ।

मेरा घर, मेरे बेटे, मेरी पुस्तक ।

अपना देश, अपने बंधु, अपनी भाषा ।

राम-सा वर, लव-कुश-से बेटे, सीता-सी वधू ।

5.2.1.3 कारकों के प्रकार

संज्ञा के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ संबंध स्थापित हो, उसे कारक कहते हैं । उक्त संबंध की भिन्नता के कारण कारक के आठ भेद हिन्दी में माने जाते हैं, यथा :-

वाक्य संबंध	संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध संबंध	कारक संबंध भेद
i) लड़का गाता है ।	कर्तृ संबंध (कर्ता = क्रिया का संपादन करनेवाल)	कर्ता कारक
ii) मैं रोटी खाता हूँ	कर्म-संबंध (कर्म = क्रिया का प्रभाव जिस प पड़े।)	कर्म कारक
iii) वह कलम से लिखता है।	करण-संबंध (करण = किया का संपादन जिस वस्तु के द्वारा हो ।)	करण कारक
iv) उसने भिक्षुक को धन दिया।	संप्रदान - संबंध (संप्रदान = क्रिया जिसके लिए हो।)	संप्रदान कारक
v) पत्ता पेड़ से गिरा।	अपादान-संबंध (अपादान = क्रिया जिससे निकले।)	अपादान कारक
vi) राम के पिताजी	जन्य-जनक भाव संबंध (संबंध = क्रिया से भिन्न के साथ संबंध)	संबंध कारक
vii) कुएँ में पानी है ।	आधार-आधेय-संबंध (अधिकरण = क्रिया का आधार)	अधिकरण कारक
viii) अरे लड़के, इधर आ।	संबोधन द्वारा संबंध (संबोधन = किसीको बुलाना या पुकारना)	संबोधन कारक

याद रखना चाहिए कि हिन्दी में संबंध और संबोधन कारकों में संज्ञा का क्रिया के साथ साक्षात् संबंध नहीं रहता ।

5.2.1.3.1 कर्ता कारक

क्रिया से जिस वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, उसे सूचित करनेवाले संज्ञा के रूप को कर्ता कारक कहते हैं, जैसे - लड़का सोता है । नौकर ने दरवाज़ा खोला । कर्ता कारक से क्रियागत व्यापार का कर्ता सूचित होता है । ऊपर दिये गए वाक्य में 'लड़का' परसर्ग रहित कर्ता है । इसे ' अ त्यय कर्ताकारक ' या

'अपरसर्ग कारक' कहते हैं । परसर्ग रहित कर्ता कारक का वाक्य में प्रयोग होने पर क्रिया के लिंग - वचन कर्ता के लिंग - वचन एक - जैसे होते हैं, यथा -

लड़का रोटी खाता है । (पुल्लिंग - एकवचन)

लड़के पढ़ते हैं । (स्त्रीलिंग - एकवचन)

लड़कियाँ गाती हैं । (स्त्रीलिंग - बहुवचन)

'नौकर ने दरवाजा खोला ।' इस वाक्य में 'नौकर ने' 'सप्रत्यय कर्ता कारक' है। इसे 'सपरसर्ग कारक' भी कहते हैं ।

अप्रत्यय कर्ता कारक निम्नलिखित अर्थों में आता है -

क) प्रातिपदिक के अर्थ में (किसी वस्तु के उल्लेख मात्र में), जैसे - पुण्य, पाप, लड़का, वेद, सत्संग ।

ख) उद्देश्य में - पानी गिरा । नौकर काम पर गया ।

ग) उद्देश्यपूर्ति में - घोड़ा एक जानवर है, मंत्री राजा बन गया, साधु चोर निकला।

'राम ने रोटी खाई ।' इस वाक्य में 'राम ने' सप्रत्यय या परसर्ग सहित कर्ता कारक है । वाक्य में सपरसर्ग कर्ता कारक का प्रयोग होने पर, कर्ता का क्रिया के साथ अन्वय नहीं बैठना, किन्तु कर्म के साथ अन्वय होता है । तब कर्म और क्रिया के लिंग वचन एक जैसे होते हैं, जैसे :

अ) राम ने रोटी खाई ।

आ) सीता ने फल खाया ।

पहले वाक्य में 'राम ने' परसर्ग सहित कर्ताकारक है । 'रोटी' कर्मपद है जो स्त्रीलिंग एक वचन में है । अतः क्रियापद भी स्त्रीलिंग एकवचन में रहता है, यथा - 'खाई' । दूसरे वाक्य में 'सीता ने' परसर्ग सहित कर्ताकारक है । 'फल' कर्मपद है जो पुल्लिंग एकवचन में है । अतः क्रियापद (खाया) भी पुल्लिंग एकवचन में रहता है ।

हिन्दी में कर्ता कारक का परसर्ग 'ने' है। जब भूतकाल में किसी सकर्मक क्रिया का भूतकालिक कृदन्त रूप प्रयुक्त होता है (अथवा जिस भूतकाल की रचना किसी सकर्मक क्रिया के भूतकालिक कृदन्त रूप की सहायता से होती है उसमें कर्ता के साथ 'ने' परसर्ग जोड़ा जाता है।) वब उस क्रिया के कर्ता के साथ 'ने'

परसर्ग जोड़ा जाता है। 'ने' परसर्ग का प्रयोग तभी होता है जब वाक्य में सकर्मक भूत कृदन्त की क्रिया प्रयुक्त हो, यथा - किया, खाया, पिया, पढ़ा, लिखा, देखा, पाया, बनाया - इत्यादि । 'ने' परसर्ग के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित बातें समझना आवश्यक है -

1) सकर्मक भूत कृदन्त क्रिया के सब कालों में ' ने ' परसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे -

अ) राम ने खाया । (सामान्य भूतकाल)

आ) राम ने खाया है । (आसन्न भूतकाल)

इ) राम ने खाया था । (पूर्ण भूतकाल)

ई) राम ने खाया होगा । (संदिग्ध भूतकाल)

उ) राम ने खाया हो । (संभाव्य भूतकाल)

ऊ) यदि राम ने खाया होता । (हेतुहेतुमद् भूतकाल या भूत संकेतार्थ)

(भूतकाल की रचना-प्रक्रिया पर अगली इकाई में विचार किया जाएगा। यहाँ 'ने' विधान के क्षेत्र को समझाने के लिए भूतकाल के कुछ भेदों का उल्लेख मात्र किया गया है।)

2) 'ने' परसर्गवाला कर्त्ता जिस वाक्य में प्रयुक्त हो, उस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ मेल खाती है, यथा -

मैंने रोटी खाई । (स्त्रीलिंग - एकवचन)

हमने रोटियाँ खाई । (स्त्रीलिंग - बहुवचन)

उन्होंने बहुत संतरे खाये । (पुल्लिंग - बहुवचन)

उसने एक संतरा खाया । (पुल्लिंग - एकवचन) इन वाक्यों में कर्म के लिंग-वचन और क्रिया के लिंग-वचन एक-से हैं ।

3) 'ने' वाले वाक्य में कर्म के साथ 'को' लगने पर क्रिया तृतीय पुरुष (या अन्य पुरुष) पुल्लिंग एकवचन में रहती है । यथा - भक्तों ने राम को देखा।

हम ने आपको देखा।

4) 'कर्म' के अप्रयुक्त रहने पर भी क्रिया तृतीय पुरुष एकवचन में रहती है । जैसे - राम ने देखा । हम ने पढ़ा । उसने लिखा । तुमने सुना । साधुओं ने कहा।

5) यदि वाक्य या वाक्यांश (phrase) 'कर्म' हो तो क्रिया तृतीय पुरुष पुल्लिंग एकवचन में रहेगी, यथा :- उसने जाते-जाते कहा - 'कल मैं फिर आऊँगा ।'

6) जब 'ला, बोल, भूल, लग, चुक, सक' - क्रियाओं का प्रयोग भूतकाल में होता है, तब 'कर्त्ता' में 'ने' नहीं लगता ।

उदाहरण :

1) मैं बाजार से सामान लाया हूँ ।

2) तोता 'राम-राम' बोला ।

3) दादा बीती बातें अभी तक भूला नहीं ।

4) श्याम पढ़ने लगा ।

5) बिल्ली दूध पी चुकी ।

6) अहिंसात्मक लड़ाई के बाद भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर सका।

ऊपर के वाक्यों में कर्त्ता और क्रिया के लिंग - वचन एक - से हैं।

7) 'समझ, लड़, बोल, सो' क्रियाओं के भूतकाल में कर्त्ता के साथ ' ने' का वैकल्पिक प्रयोग होता है, यथा -

i) मैं ने समझा कि आप कल आएँगे ।
मैं सवाल समझा नहीं ।

ii) राजपूतों ने कई लड़ाइयाँ लड़ीं ।
राजपूत मुगलों से खूब लड़े ।

iii) सत्याग्रह आन्दोलन के दिनों इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरु ने बोला ही था कि पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई।
वह दो घंटे बोला ।

iv) उसने मीठी नींद सोई ।
वह रात-भर सोया ।

8) सजातीय कर्म का प्रयोग भूतकाल में होने पर कर्त्ता में ' ने ' लगता है, यथा - गोविन्द सिंह ने कई लड़ाइयाँ लड़ीं । 'लड़ाइयाँ' सजातीय कर्म है । वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से बने कर्म को 'सजातीय कर्म' कहते हैं ।

9) छींकना, खाँसना, नहाना - क्रियाओं का भूतकाल में प्रयोग होने पर ' कर्त्ता ' में ' ने ' लगता है, जैसे :

बुढ़िया ने रात - भर खाँसा ।

कई दिनों के ज्वर के बाद आज बच्चे ने छींका ।

मैं ने सवेरे तड़के ही नहाया ।

10) जब असमापक क्रिया (Incomplete verb) का प्रयोग भूतकाल में होता है, तब कर्त्ता में 'ने' लगता है, जैसे :

लोगों ने उसको चोर समझा ।

प्रजा ने राम को राजा बनाना चाहा ।

11) द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग होने पर (भूतकाल में) मुख्य कर्म के अनुसार क्रिया रहती है, यथा :

अध्यापक ने छात्रों को हिन्दी पढ़ाई ।

12) अभ्यासबोधक क्रियाओं का भूतकाल में प्रयोग होने पर 'कर्त्ता में 'ने' नहीं लगता जैसे :

वे रात-भर जागा किये ।

बारह बरस दिल्ली में रहे; भाड़ ही झोंका किये ।

'जागा किये' और 'झोंका किये' अभ्यासबोधक क्रियाएँ हैं ।

5.2.1.3.2 कर्मकारक

जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसका बोध करानेवाले संज्ञा-रूप (या सर्वनाम के रूप) को कर्मकारक कहते हैं, यथा : लड़का पत्थर फेंकता है ।

मालिक ने नौकर को बुलाया ।

अथवा यों कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्म कारक कहते है जिससे उस व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है । यथा :

'राम फल खाता है ।'

इस वाक्य में 'फल' परसर्ग रहित कर्म है । उसे 'अप्रत्यय कर्मकारक' भी कहते हैं ।

'माँ गोपाल को बुलाती है ।'

इस वाक्य में 'गोपाल को' परसर्ग सहित कर्म या 'सप्रत्यय कर्मकारक' है।

अप्रत्यय कर्मकारक निम्नलिखित अर्थों में आता है :

अ) मुख्य कर्म - गुरु शिष्य को गणित पढ़ाता है ।

आ) कर्मपूर्ति - मैं ने चोर को साधु समझ लिया ।

इ) सजातीय कर्म - सिपाही कई लड़ाइयाँ लड़ता है ।

ई) अपरिचित या अनिश्चित कर्म - मैं ने शेर देखा है ।

हम एक नौकर खोजते हैं ।

यदि अप्राणिवाचक या अचेतन बोधक शब्द 'कर्म पद' हो तो उसमें 'को' परसर्ग नहीं जुड़ता । यथा :

कर्मकारक

1	2
अप्रत्यय कर्मकारक (अपरसर्ग कर्मकारक)	**सप्रत्यय कर्मकारक (सपरसर्ग कर्मकारक)**
उदा : कपड़े लाओ ।	धोबी को बुलाओ।
कलम लाओ ।	इन्स्पेक्टर को लाओ।
घास काटो ।	गाय को खोल दो।
(कपड़े और कलम अचेतन हैं। 'घास' सप्राण होते हुए भी अचेतन-सदृश है।)	(धोबी, इन्सपेक्टर, गाय- तीनों सचेतन या प्राणवान् हैं।)

सप्रत्यय कर्मकारक निम्नलिखित अर्थों में आता है :

अ) निश्चित कर्म में - हम ने शेर को देखा है। मालिक ने नौकर को निकाल दिया।

आ) करना, बनाना, समझना, मानना - इत्यादि अपूर्ण क्रियाओं का कर्म - (जब उसके साथ कर्मपूर्ति आती है।) -

अहल्या ने गंगाधर को दीवान बनाया ।

मैं ने चोर को साधु समझा था ।

इ) जिन विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के समान होता है । उनमें सप्रत्यय कर्मकारक आता है । यथा -

दीन को मत सताओ ।

गरीबों को मत मारो ।

ई) बुलाना, पुकारना, कोसना, सुलाना, जगाना - आदि क्रियाओं के साथ सप्रत्यय कर्म कारक आता है । जैसे -

वह कुत्ते को बुलाता है ।
माँ ने बच्चे को सुलाया ।
मैं किसी को नहीं कोसता ।
नौकर ने मालिक को जगाया ।

उ) कर्मवाच्य के भावे प्रयोग के उद्देश्य में सप्रत्यय कर्म कारक आता है । यथा:

कैलाश बाबू को सभा की ओर से निमंत्रित किया गया था ।

5.2.1.3.3 करणकारक

करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कहते हैं जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है । यथा :

सिपाही चोर को रस्सी से बाँधता है ।
लड़के ने हाथ से फल तोड़ा ।
मनुष्य आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और बुद्धि से विचार करते हैं।

इन वाक्यों में ' रश्मी, हाथ, आँखें, कान और बुद्धि' क्रिया के साधन हैं। अतः 'रस्सी से' 'हाथ से' - इनके द्वारा साधन का बोध होता है। इन्हें करण कारक कहते हैं।

करण कारक और तृतीया विभक्ति का प्रयोग		
क्र.सं	अर्थ	वाक्य
1	करण अर्थात् साधन	हम नाक से साँस लेते हैं।
2	कारण धन से प्रतिष्ठा बढ़ती है ।	
3	रीति	क्रम से बैठिए।
4	दशा, स्वभाव	शरीर से हट्टाकट्टा, स्वभाव से क्रोधी।
5	विनिमय	रमा ने अपनी धोती मालती की धोती से बदल ली।
6	स्थिति	वह जन्म से क्षत्रिय है।
7	माध्यम	तार से समाचार भेजते हैं।
8	अशक्यता - द्योतन	अब मुझसे और नहीं चला जाता।
9	हेतु	ज्ञान से मुक्ति मिलती है।
10	विकार	मनुष्य बालक से वृद्ध होता है।
11	गौण कर्म	रानी ने दासी से सब हाल कहा।
		मैं ने उसे लड़ाई का कारण पूंछा।
		भक्तजन भगवान से प्रार्थना करते हैं।
		मैं नौकर से बात करता हूँ।

अप्रत्यय (या परसर्ग रहित) करणकारक का प्रयोग भी क्वचित् पाया जाता है। यथा :- आँखों देखा हाल, कानों सुनी बात, हाथों किया काम ।

भूख, प्यास, जाड़ा, हाथ, आँख, कान - इत्यादि शब्द करण कारक में बहुधा बहुवचन में आते हैं और इनके पश्चात् परसर्ग का प्रयोग नहीं होता । यथा - भूखों मरना, जाड़ों मरना इत्यादि ।

5.2.1.3.4 संप्रदान कारक

क्रिया जिसके लिए की जाती है, उसकी वाचक संज्ञा (या सर्वनाम) के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं । सं + प्र + दान अर्थात् किसीको कुछ दे देना - इस अर्थ में संप्रदान कारक आता है । जिसको कुछ दिया जाता है, उसेक वाचक शब्द में 'को' परसर्ग जोड़ा जाता है, यथा :-

राजा ने कवि को धन दिया ।

संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग		
क्र. सं.	अर्थ	वाक्य
1	द्विकर्मक क्रिया का गौण कर्म	गुरु शिष्य को व्याकरण सिखाता है।
2	फल वा निमित्त	वह रईस धन के लिए मारा गया।
3	प्रयोजन	तुमको इससे क्या करना है ?
		इस मामले में आपको क्या लाभ ?
4	विनिमय या मूल्य	यह पुस्तक दस रूपये को मिलती है।
5	अवधारण	जाने को तो मैं जा सकता हूँ।
6	प्राप्ति	लड़के को गाना आता है।
7	मनोविकार	उसको देह की सुध न रही।
8	कर्त्तव्य, आवश्यकता, योग्यता	मुझे वहाँ जाना चाहिए।
		ऐसा करना मनुष्य को उचित नहीं है।
		उनको वहाँ जाना था।
		मुझे वहाँ जाना पड़ा।

लगना, रुचना, भाना, मिलना, दिखना, आना, पड़ना, होना - आदि क्रियाओं के साथ संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है । यथा :-

राजा को बुरा लगा ।
तुम्हारी बातें उसको न रुचीं ।
मुझे खटाई नहीं भाती ।
हमको ऐसा दिखता है ।
राजा को संकट पड़ा ।
इस लड़के को क्या हुआ है ?
उसको तैरना नहीं आता ।
मनुष्य को धन से सुख नहीं मिलता ।

प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, बधाई, धिक्कार - आदि का प्रयोग होने पर संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का 'को' परसर्ग आता है, जैसे :-

गुरुजी को प्रणाम ।
आपको नमस्कार ।
इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद ।
रावण को धिक्कार ।

'देना' अथवा 'पड़ना' के योग से बनी हुई नामबोधक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के पश्चात् 'को' परसर्ग जोड़ा जाता है अथवा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है । यथा :-

हरि को शब्द सुनाई पड़ा ।
उसे रात को दिखाई नहीं देता ।

5.2.1.3.5 अपादानकारक

संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के विभाग की सीमा का पता चलता है, अपादान कारक कहलाता है । पं. कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में - 'अपादान कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे क्रिआ के विभाग की अवधि सूचित होती है, जैसे - पेड़ से फल गिरा । गंगा हिमालय से निकली है।' इन वाक्यों में 'पेड़ से' 'गंगा से' - इनके द्वारा किसी वस्तु का उसके स्थान से अलग होना सूचित होता है । करण कारक और अपादान कारक - दोनों का परसर्ग 'से' है । किन्तु यह समझना चाहिए कि अपादान कारक दो वस्तुओं या व्यक्तियों के

वियोग तथा पृथक्करण का द्योतक है ; करण कारक दोनों के संयोग परस्पर सहायता का द्योतक है । यथा :-

पेड़ से पत्ता गिरा । (अपादान कारक - पेड़ और पत्ते का पृथक्करण)

मनुष्य आँखों से देखता है । (करणकारक - मनुष्य - आँखों की परस्पर सहायता।)

अपादान कारक और पंचमी विभक्ति का प्रयोग		
क्र. सं.	अर्थ	वाक्य
1	वियोग या पृथक्करण	पेड़ से पत्ता गिरा।
2	उत्पत्तिस्थान	गंगा हिमालय से निकली है ।
3	काल या स्थान का अंतर	अटक से कटक तक, सबेरे से साँझ तक।
4	भिन्नता	यह कपड़ा उसके अलग है, आत्मा देह से भिन्न है ।
5	तुलना	मुझसें बढ़कर पापी कौन होगा ?
6	निर्धारण	इन कपड़ों में से आप कौनसा लेते हैं ?
7	माँगना, लेना, लाना, बचना, रोकना, छूटना, डरना, छिपना आदि क्रियाओं का स्थान या कारण	मैं भगवान से वर मागता हूँ । गाड़ी से बचकर चलो । मैं घड़े से पानी लेता हूँ । तुम मुझे वहाँ जाने से क्यों रोकते हो ? लड़का बिल्ली से डरता है ।
8	परे, बाहर, दूर, आगे, हटकर-आदि के साथ 'अलगाव' के अर्थ में	जाति से बाहर, दिल्ली के परे, घर से दूर, गाँव से आगे, सड़क से हटकर ।

5.2.1.3.6 संबंध कारक

'संज्ञा के जिस रूप से उसकी वाच्य वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ सूचित होता है, उस रूप को संबंध कारक कहते हैं, जैसे - राजा का महल, लड़के की पुस्तक, पत्थर के टुकड़े इत्यादि' । (हिन्दी व्याकरण - कामता प्रसाद गुरु) संबंध कारक ऐसा कारक है जिसका वाक्य की क्रिया से संबंध स्थापित नहीं

होता है । अतः कई विद्वान 'संबंध' के कारकत्व को स्वीकार नहीं करते । संबंधकारक का परसर्ग 'का' है । 'का' विकारी परसर्ग है । 'राजा का महल' - इस वाक्यांश में 'राजा का' भेदक है और 'घोड़ा' भेद्य है । संबंध कारक का परसर्ग 'का' भेद्य के लिंग और वचन को अपनाता है, यथा - राजा का महल (पुल्लिंग-एकवचन) । राजा के बेटे (पुल्लिंग - बहुवचन) । राजा की सेना (स्त्रीलिंग-एकवचन) । राजा की बेटियाँ (स्त्रीलिंग-बहुवचन) ।

संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग		
क्र. सं	अर्थ	वाक्य
1	स्वस्वामिभाव, स्वामित्व	देश का राजा, मिल का मालिक ।
2	अंगांगी भाव	हाथ की उँगली ।
3	जन्य-जनक भाव	लड़के का बाप, देवकी का पुत्र ।
4	कर्तृकार्य भाव	तुलसीदास की रामायण ।
5	कार्यकारण-भाव (उपादान)	सोने की अंगूठी, मिट्टी का घड़ा ।
6	आधार - आधेय भाव	कटोरे का दूध, शहर के लोग ।
7	सेव्य-सेवक भाव	ईश्वर का भक्त ।
8	वाह्य-वाहक भाव	घोड़े की गाड़ी, गाड़ी का घोड़ा, कोल्हू का बैल ।
9	गुणगुणीभाव	मनुष्य का बड़प्पन, आम की खटाई ।
10	नाता या बन्धुत्व	राम का भाई, सीता की बहन, मेरा काका।
11	प्रयोजन	बैठने का कोठा, पीने का पानी ।
12	मोल का माल	पैसे का गुड़, गुड़ का पैसा ।
13	परिमाण	दो हाथ की लाठी, दस बीघे का खेत ।
14	अभेद	असाढ़ का महीना, खजूर का पेड़ ।
15	समस्तता	गाँव का गाँव, घर का घर ।
16	कर्त्ता	भगवान का दिया हुआ सब कुछ ।
17	कर्म	ऊँट की चोरी ।
18	अपादान	डाल का टूटा, जेल का भागा हुआ ।

5.2.1.3.7 अधिकरण कारक

संज्ञा (या सर्वनाम) का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, अधिकरण कारक कहलाता है । अधिकरण कारक के परसर्ग हैं - में, पर। भीतरी आधार 'में' द्वारा सूचित होता है, जैसे - सिंह वन में रहता है । कुएँ में जल, तालाब में कमल, फूल में सुगँध, तिल में तेल, बक्से में पैसा- इत्यादि ।

बाह्याधार 'पर' से सूचित होता है, जैसे : पेड़ पर बंदर बैठा है । पहाड़ पर मंदिर है ।

अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग		
क्र.सं	अर्थ	वाक्य
		में
1	अभिव्यापक आधार	दूध में मिठास, तिल में तेल ।
2	औपश्लेषिक आधार (जिसके	
	एक भाग में आधेय रहता है।	मछलियाँ समुद्र में रहती हैं ।
3		
	विषय का बोध हो)	
4	मोल	उसने बीस रूपये में गाय ली ।
5	कारण	क्रोध में शरीर छीजता है ।
6	निर्धारण	देवताओं में कौन अधिक पूज्य है ?
		पर
7	एकदेशाधार	सिपाही घोड़े पर बैठा है ।
8	सामीप्याधार	तालाब पर मंदिर बना है ।
9	विषयाधार	नौकरों पर दया करो ।
10	कारण	मेरे बोलने पर वह अप्रसन्न हो गया ।
11	अधिकता	घर से चिट्ठियों पर चिट्ठियाँ आ रही हैं ।
12	निश्चित काल	समय पर वर्षा नहीं हुई ।
13	विरोध	लड़का छोटा होने पर भी चतुर है ।
14	अनादर	मेरे कई बार समझाने पर भी
		वह दुष्कर्म नहीं छोड़ता ।

कहीं - कहीं अधिकरण कारक का परसर्ग अप्रयुक्त होता है, जैसे : मैं आपके पाँव पड़ता हूँ । (पाँवों पर)

वह उस समय नाराज़ था । (उस समय में)

बच्चा घुटनों चलता है । (घुटनों पर)

5.2.1.3.8 संबोधनकारक

संज्ञा के जिस रूप से किसीको चिताना या पुकारना सूचित होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं, यथा -

हे नाथ ! मेरे अपराधों को क्षमा करना ।

अरे लड़के, इधर आ ।

'लड़का' शब्द का तिर्यक् एकवचन रूप 'लड़के' है । वही एकवचन - संबोधन रूप है । 'लड़को' बहुवचन का अन्तिम नासिक स्वर रहित रूप है । वह बहुवचन में संबोधन-रूप है । संबोधन कारक का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध (या अन्वय) स्थापित नहीं होता । अतः कई विद्वान् संबोधन के कारकत्व को नहीं मानते ।

5.2.2 सर्वनाम

'सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, जैसे - मैं (बोलनेवाला), तू (सुननेवाला), यह (निकटवर्ती वस्तु), वह (दूरवर्ती वस्तु) इत्यादि ।' (हिन्दी व्याकरण - पं. कामता प्रसाद गुरु)

सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलता । 'सर्वनाम' का शाब्दिक अर्थ है - सब का नाम।

प्रयोग के अनुसार सर्वनामों का वर्गीकरण

1	2	3	4	5	6
पुरुषवाचक	निजवाचक	निश्चयवाचक	संबंधवाचक	प्रश्नवाचक	अनिश्चयवाचक
मैं, तू	आप	यह, वह, सो	जो	कौन, क्या	कोई, कुछ

आप (आदरार्थक)

5.2.2.1 पुरुषवाचक सर्वनाम

पुरुष-व्यवस्था के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम इस प्रकार हैं :

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
1 उत्तम पुरुष first person	मैं	हम, हम लोग
2 मध्यम पुरुष second person	तू	तुम, तुम लोग आप, आप लोग
3 अन्य पुरुष third person	यह वह	ये, ये लोग वे, वे लोग, आप

अ) जब वक्ता या लेखक अपने संबंध में कुछ विधान करता है, तब 'मैं' का प्रयोग करता है, जैसे : मैं रामनाथन् बोल रहा हूँ ।

आ) देवता के लिए, छोटे लड़के अथवा चेले के लिए, परम मित्र के लिए 'तू' का प्रयोग होता है ।

इ) यद्यपि 'तुम' बहुवचन है, तथापि शिष्टाचार के अनुरोध से इसका प्रयोग एक ही मनुष्य से बोलने में होता है । बहुत्व के लिए 'तुम लोग' ऐसा प्रयोग होता है ।

ई) 'आप' आदरार्थक बहुवचन है जिसका प्रयोग 'तुम' या 'वे' के बदले क्रमशः मध्यम तथा अन्य पुरुषों में होता है, जैसे -

आप पधारिये । (मध्यम पुरुष - आदरार्थक बहुवचन)

आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं ? ('आप लोग' आप का बहुवचन है ।)

यह है पं. जवाहरलाल नेहरु की फोटो । आप स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे । ('आप' अन्य पुरुष आदरार्थक बहुवचन है ।

'इस विषय में आप लोगों की क्या राय है ?'

यहाँ आदर के साथ बहुत्व का बोध भी होता है ।

5.2.2.2 निश्चयवाचक सर्वनाम

यह, वह, सो निश्चयवाचक सर्वनाम हैं । जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं ।'यह'

(एकवचन), 'ये' (बहुवचन) - इनसे निकटवर्ती वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है । 'वह' (एकवचन) 'वे' (बहुवचन) - इनसे दूरवर्ती वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। 'सो' दोनों वचनों में एक-सा रहता है और बहुधा संबंधवाचक सर्वनाम 'जो' के साथ आता है । यथा :

यह किसकी पुस्तक है ?
ये मेरी पुस्तकें हैं ।
वह तुम्हारी पुस्तक है ।
वे तुम्हारी पुस्तकें हैं ।
आप जो न करो सो थोड़ा है ।

5.2.2.3 निजवाचक सर्वनाम

निजवाचक 'आप' पुरुषवाचक (आदरार्थक) 'आप' से भिन्न है । पुरुषवाचक 'आप' एक का वाचक होकर भी नित्य बहुवचन में आता है ; पर निजवाचक 'आप' का प्रयोग दोनों वचनों में और तीनों पुरुषों में होता है । यथा :

मैं आप स्टेशन जाऊँगा । वे आप स्टेशन जाएँगे ।
बेटी अपने आप अकेली ससुराल से मायके आ गई ।
आप भला तो जग भला ।

5.2.2.4 संबंधवाचक सर्वनाम

'जो' संबंधवाचक सर्वनाम है । 'जो' के साथ 'सो' या 'वह' का नित्य संबंध रहता है । 'सो' और 'वह' निश्चयवाचक सर्वनाम हैं । परंतु संबंधवाचक सर्वनाम के साथ आने पर इन्हें 'नित्य संबंधी सर्वनाम' कहते हैं ।

उदाहरण : जो मेहनत करेगा वह खाएगा ।
जो हुआ सो हुआ ।
जिसकी लाठी, उसकी भैंस ।
जो न सुने उससे क्या कहें ।
जो हरिश्चन्द्र ने किया वह तो अब कोई भी भारतवासी न करेगा ।

5.2.2.5 प्रश्नवाचक सर्वनाम

प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं । हिन्दी में प्रश्नवाचक सर्वनाम दो हैं - कौन, क्या । 'कौन' प्राणियों के लिए, विशेषतया मनुष्यों के लिए और 'क्या' क्षुद्र प्राणी, पदार्थ या धर्म के लिए प्रयुक्त होता है । उदाहरण :

- हे महाराज आप कौन हैं ?
  तुम क्या कर सकते हो ?
  रोकनेवाले तुम कौन हो ?
  मनुष्य क्या है ? धर्म क्या है ?
  मैं क्या क्या कहूँ ?
  क्या गाड़ी चली गई ?

5.2.2.6 अनिश्चयवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं । हिन्दी में अनिश्चयवाचक सर्वनाक दो हैं - कोई, कुछ । 'कोई' पुरुष के लिए और 'कुछ' पदार्थ या धर्म के लिए प्रयुक्त होता है । यथा :

इस दुनिया में कोई किसीका नहीं ।
दरवाजे पर कोई खड़ा है ।
पानी में कुछ है ।
आपने कुछका कुछ समझ लिया ।
मेरा हाल कुछ न पूछो ।

5.3 सारांश

इस इकाई में आपने कारक और सर्वनाम के बारे में पढ़ा है । इस इकाई के प्रमुख अंश इस प्रकार हैं :

- 'कारक' का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो ।
- क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के अन्वय (संबंध) को कारक कहते हैं और उनके जिस रूप से यह अन्वय सूचित होता है, उसें विभक्ति कहते हैं ।

- हिन्दी में आठ कारक हैं - कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन ।
- हिन्दी में आठ विभक्तियाँ हैं - प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन ।
- हिन्दी के कारक-चिह्न (या परसर्ग या विभक्ति-प्रत्यय) हैं - ने, को, से, का, के, की, में, पर ।
- हिन्दी में परसर्ग दो प्रकार के हैं - विकारी और अविकारी । ने, को, से, में, पर - अविकारी परसर्ग हैं ।
- 'का-के-की' विकारी परसर्ग हैं ।
- जो विकारी शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं ।
- प्रयोग के अनुसार सर्वनाम छः प्रकार के हैं - पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक ।
- कोई भी सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलता ।
- वचन, पुरुष और कारक सर्वनाम की कोटियाँ हैं जिनके कारण सर्वनाम में रूपांतर होता है ।

5.4 बोध-प्रश्न

i) कारक और विभक्ति में अंतर क्या है ?

ii) टिप्पणी लिखिए :

अ) परसर्ग　　आ) कर्ताकारक

इ) कर्म कारक　　ई) पुरुषवाचक सर्वनाम

5.5 बोध-प्रश्नों के उत्तर-संकेत

i) देखिए उपपाठ 5.2.1.1

ii) अ) देखिए उपपाठ 5.2.1.2 आ) 5.2.1.3.1 इ) 5.2.1.3.2 ई) 5.2.2.1

5.6 परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

1) 'कारक' की परिभाषा देते हुए, उसके भेदों का सोदाहरण विवेचन कीजिए।

2) 'सर्वनाम' को परिभाषित करते हुए, उसके भेदों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

5.7 उत्तर-संकेत

1) देखिए उपपाठ 5.2.1.1, 5.2.1.3, 5.2.1.3.1 से 5.2.1.3.8 तक ।

2) देखिए उपपाठ 5.2.2, 5.2.2.1 से 5.2.2.6 तक ।

5.8 अध्ययन - सामग्री

1) हिन्दी शब्दानुशासन - पं. किशोरीदास वाजपेयी

2) हिन्दी व्याकरण - पं. कामता प्रसाद गुरु

3) भाषा भास्कर - पाद्री एथरिंगटन

4) मानक हिन्दी व्याकरण और रचना - डा. हरिवंश तरुण

5) अभिनव हिन्दी व्याकरण - प्रो. ना. नागप्पा

NOTES

BLOCK - 06

Unit 06

विशेषण

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 मूलपाठ - विशेषण

- 6.2.1 विशेषण - अर्थ एवं परिभाषा
- 6.2.2 विशेषण और प्रविशेषण
- 6.2.3 विशेषण के कार्य
- 6.2.4 विशेषण के भेद
  - 6.2.4.1 सर्वनामिक विशेषण
    - 6.2.4.1 मौलिक
    - 6.2.4.2 यौगिक
  - 6.2.4.2 गुणवाचक विशेषण
  - 6.2.4.3 संख्यावाचक विशेषण
    - 6.2.4.3.1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण
      - 6.2.4.3.1 गणवाचक
      - 6.2.4.3.2 क्रमवाचक
      - 6.2.4.3.3 आवृत्तिवाचक
      - 6.2.4.3.4 समुदायवाचक
      - 6.2.4.3.5 प्रत्येक बोधक
    - 6.2.4.3.2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण
  - 6.2.4.4 परिमाणबोधक विशेषण
    - 6.2.4.4.1 निश्चित परिमाणबोधक
    - 6.2.4.4.2 अनिश्चित परिमाणबोधक
- 6.2.5 भेदक विशेषण और भेद्य-भेदक भाव
- 6.2.6 विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण
- 6.2.7 विशेषणों की रचना एवं वर्गीकरण
- 6.2 8 तुलनात्मक विशेषण

6.3 सारांश
6.4 बोध-प्रश्न
6.5 बोध-प्रश्नों के उत्तर-संकेत
6.6 परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने
6.7 उत्तर - संकेत
6.8 अध्ययन - सामग्री

6.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य है - हिन्दी के शब्द-भेद 'विशेषण' को परिभाषित करना, वर्गीकृत करना और सोदाहरण विश्लेषित करना । हिन्दी के वाक्य-सांचों की जानकारी के लिए विशेषण का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है ।

6.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में विशेषण के अर्थ एवं परिभाषा पर विचार किया जाएगा ; विशेष्य और प्रविशेषण का अंतर स्पष्ट किया जाएगा । बदरीनाथ कपूर के अनुसार संज्ञा की विशेषता बतलानेवाले शब्द संज्ञाविशेषण हैं । संज्ञाविशेषणों के गुणवाचक, संबंधवाचक और मानवाचक - तीन भेद हैं । मानवाचक संज्ञाविशेषणों के संख्यावाचक और परिमाणवाचक - दो विभेद हैं ।

6.2 मूलपाठः विशेषण

प्रस्तुत इकाई का प्रतिपाद्य आठ उपपाठों (6.2.1 से लेकर 6.2.8 तक) में विभक्त किया जाता है जिनमें विशेषण के सभी सूक्ष्म भेदों का सोदाहरण निरूपण है । बदरीनाथ कपूर ने समुदायवाचक को सामस्त्यवाचक कहा है और अपूर्णांकबोधक को अंशवाचक विशेषण कहा है । उनके अनुसार निश्चित संख्यावाचक के छः उपभेद हैं - गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, सामस्त्यवाचक, प्रत्येकवाचक और अंशवाचक । उन्होंने पूर्णांकबोधक को ही गणनावाचक की संज्ञा दी है ।

6.2.1 विशेषण : अर्थ एवं परिभाषा

'विशेषण' का अर्थ है विशेषताबोधक । जो विकारी शब्द किसी वस्तु की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं । डा. हरिवंश तरुण के अनुसार 'कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लगने से संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता या खूबी उभरकर सामने आ जाती है । इनके अभाव में उनकी विशेषता का बतलाना बहुत कठिन हो जाता है । बल्कि उसके लिए कई वाक्यों में घुमा - फिराकर कहने की ज़रूरत होती और तब भी ठीक-ठीक इच्छित विशेषता प्रकट नहीं होती । ऐसे विशेषताबोधक शब्द विशेषण कहलाते हैं ।'

'विशेषण' की निम्नलिखित परिभाषाएँ द्रष्टव्य हैं

1) जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे विशेषण कहते हैं ; जैसे - बड़ा, काला, दयालु, भारी, एक, दो, सब । (पं. कामता प्रसाद गुरु)

2) संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलानेवाले शब्द विशेषण कहलाते हैं । यथा -

अच्छा आदमी ('अच्छा' विशेषण - संज्ञा 'आदमी' का)

लाल टोपी ('लाल' विशेषण - संज्ञा 'टोपी' का)

पुण्यवान आप और पापी हम ('पुण्यवान' विशेषण - सर्वनाम 'आप' का । 'पापी' विशेषण - सर्वनाम 'हम' का ।)

पतित मैं कहीं का नहीं रहा । ('पतित' विशेषण - सर्वनाम 'मैं' का)

(डा. हरिवंश तरुण)

वास्तव में विशेषण केवल संज्ञा की विशेषता बतलाता है । 'यह सुन्दर है, वह पीला है, तुम अच्छे हो' - इन वाक्यों में 'सुन्दर', 'पिला, तथा 'अच्छे' विशेषण हैं जिनसे 'यह' 'वह' और 'तुम' की विशेषता प्रकट की जाती है । यहाँ यह समझना गलत है कि ये विशेषण सर्वनाम की विशेषता बतला रहे हैं । सर्वनाम की विशेषता बतलानेवाले (सुन्दर, पीला, अच्छे) शब्द यथार्थतः उस संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, जिसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है ।

3) संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताकर उसकी व्याप्ति को मर्यादित (सीमित) करनेवाला शब्द 'विशेषण' कहलाता है । (शिक्षार्थी हिन्दी व्याकरण - प्रो. ना. नागप्पा)

4) 'हिन्दी बालबोध व्याकरण' में कहा गया है कि 'संज्ञावाचक शब्द के गुणों को जतानेवाले शब्दों को गुणवाचक शब्द कहते हैं ।' इस परिभाषा में विशेषण को 'गुणवाचक शब्द' कहा गया है । इसमें 'अव्याप्ति' दोष है । संख्यावाचक शब्द विशेषण होते हुए भी बाहर रह जाते हैं ।

5) पादरी एथरिंगटन ने 'भाषा भास्कर' में विशेषण को 'गुणवाचाक संज्ञा' के नाम से अभिहित किया है । उनके अनुसार - 'गुणवाचक संज्ञा वह कहाती है, जो विभेदक होती है, इस कारण उसे विशेषण भी कहते हैं । वाक्य में गुणवाचक संज्ञा अकेली नहीं आती, परन्तु वहाँ उदाहरण के लिए उसे अकेली लिखते हैं, जैसे : - पीला, नीला, टेढ़ा, सीधा, ऊँचा, नीचा, उत्तम, मध्यम, ज्ञानी, मानी - इत्यादि ।

6) बदरीनाथ कपूर ने संज्ञा की विशेषता बतलानेवाले शब्द (विशेषण) को 'संज्ञाविशेषण' कहा है । (परिष्कृत हिन्दी व्याकरण, पृ. 94)

वास्तव में संज्ञा और विशेषण में अंतर होता है । संज्ञा सत्ववाचक होती है जिसमें लिंग, संख्या और कारक लाक्षाणिक गुण के रूप में विद्यमान रहते हैं । किंतु विशेषण में अन्वय (संज्ञा के साथ संबंध) द्वारा उक्त गुण प्राप्त होते हैं ।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, वही विशेषण कहलाता है ।

6.2.2 विशेष्य और प्रविशेषण

वस्तुतः 'विशेष्य' नामक कोई शब्द-भेद नहीं है । किन्तु 'विशेषण' के सह-प्रयोग से संज्ञा ही विशेष्य कहलाती है । पं. कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में 'विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे विशेष्य कहते हैं, जैसे - 'काला घोड़ा' वाक्यांश में 'घोड़ा' संज्ञा 'काला' विशेषण का विशेष्य है ।. 'बड़ा घर' में 'घर' विशेष्य है ।'

संक्षेप में - जिस वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, उसे विशेष्य कहते हैं । अथवा विशेषता बतलानेवाला शब्द विशेषण है । जिस संज्ञा की विशेषता वह बतलाता है, वह विशेष्य है । विशेषण अथवा क्रियाविशेषण की विशेषता बतानेवाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं । जैसे - राम अत्यधिक तेज छात्र है । इस वाक्य में 'अत्यधिक' प्रविशेषण है जो 'तेज' (विशेषण) की विशेषता बतलाता है।

6.2.3 विशेषण के कार्य

विशेषण के पाँच कार्य हैं । जैसे -

i) किसी वस्तु/व्यक्ति की विशेषता प्रकट करना - स्वस्थ बालक; काला कुत्ता; चमकदार सोना । स्वस्थ, काला और चमकदार - ये तीनों क्रमशः बालक, कुत्ते और सोने की विशेषता प्रकट करते हैं ।

ii) हीनता प्रकट करना -

मूर्ख नौकर, बीमार आदमी, खूनी मनुष्य । मूर्ख, बीमार और खूनी - ये तीनों क्रमशः नौकर, आदमी और मनुष्य की हीनता प्रकट करते हैं ।

iii) अर्थ-व्याप्ति को मर्यादित करना -

उजले घोड़े (ख़ास 'उजले' रंगवाले घोड़ों तक सीमित अर्थ)

दौड़ते लड़के (ख़ास 'दौड़ते' लड़कों तक सीमित अर्थ)

iv) संख्या का बोध कराना -

एक पेड़, पाँच गायें, सौ सिपाही । एक, पाँच और सौ - ये तीनों विशेषण क्रमशः पेड़, गायों और सिपाहियों की संख्या का बोध कराते हैं ।

v) मात्रा बतलाना -

एक लीटर दूध, सवा सेर गेहूँ, तीन किलो चावल ।

'एक लीटर' दूध की मात्रा का बोधक है ।

'सवा सेर' गेहूँ की मात्रा का बोधक है ।

'तीन किलो' चावल की मात्रा का बोधक है ।

इन उदाहरणों में लीटर, सेर और किलो - ये तीनों परिमाणबोधक हैं । 'एक, सवा और तीन' से निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध होता है ।

6.2.4 विशेषण के भेद

पं. कामता प्रसाद गुरु ने विशेषणों के तीन भेद माने हैं । उनके भेदोपभेद निम्नांकित हैं :

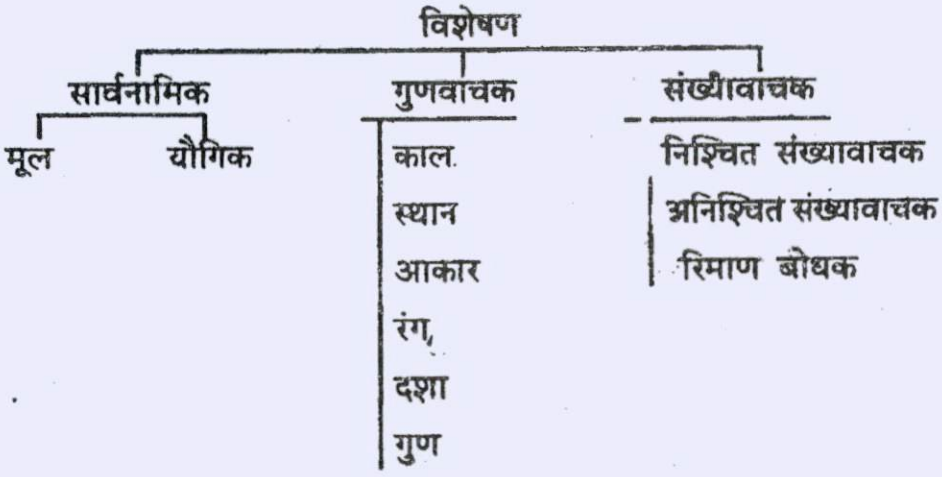

पं. कामता प्रसाद गुरु ने निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को निम्नलिखित पाँच भेदों में वर्गीकृत किया है :

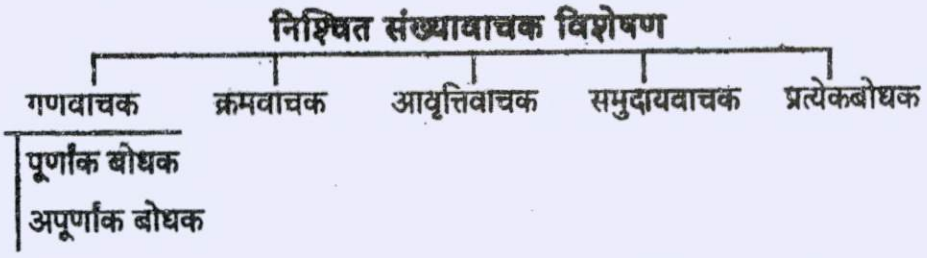

डा. हरिवंश तरुण ने विशेषण के चार भेदों को माना है जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है :

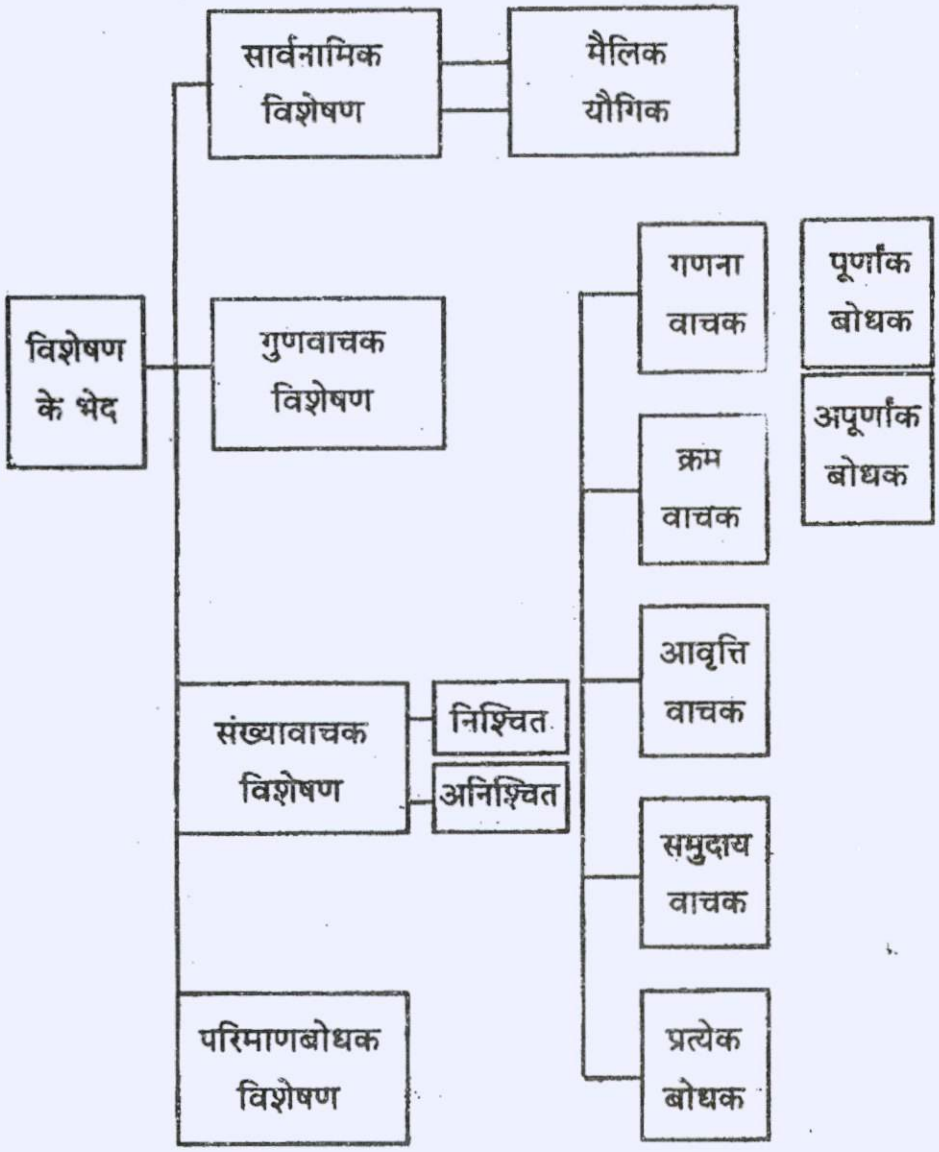

प्रो. नागप्पा ने अर्थाधारित वर्गीकरण करते हुए, विशेषणों के चार भेद माने हैं । यथा - गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक । उन्होंने भेद्य-भेदक भाव के आधार पर भेदक विशेषण को भी माना है ।

6.2.4.1 सार्वनामिक विशेषण

विशेषण का कार्य करनेवाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं । सर्वनामों से बने विशेषणों को भी सार्वनामिक विशेषण कहते हैं । यह, वह, जो, कौन, क्या, कुछ - आदि शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुए हैं या विशेषण के रूप में । इसे जानने के लिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि सर्वनाम अकेले

आते हैं पर विशेषण संज्ञा के साथ । अर्थात् ये शब्द अकेले आएँ तो सर्वनाम कहलायेंगे और संज्ञा के साथ आएँ तो विशेषण कहलायेंगे । उदाहरणार्थ :

यह ले लो ।

वह आ रहा है ।

जो चाहे वह जाए ।

कोई कहेगा ।

कुछ जाते हैं ।

इन वाक्यों में प्रयुक्त 'यह, वह, जो, कोई, कुछ' शब्द सर्वनाम हैं । परन्तु निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त ये ही शब्द संज्ञा के योग से विशेषण कहलाते हैं। यथा -

यह उपन्यास पढ़ो ।

वह मकान गिर रहा है ।

जो आदमी कल गया था, आज आ गया ।

कोई आदमी आ रहा है ।

कुछ लोग बातें कर रहे हैं ।

सार्वनामिक विशेषण को बनावट या संरचना की दृष्टि से दो वर्गों में विभक्त किया जाता है - मौलिक और यौगिक

6.2.4.1.1 मौलिक सार्वनामिक विशेषण

जो मूल सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के, संज्ञा के साथ आते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं । जैसे वह घर, यह पुस्तक, कोई नौकर, कुछ काम - इत्यादि ।

6.2.4.1.2 यौगिक सार्वनामिक विशेषण

मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से जो यौगिक सर्वनाम बनते हैं, वे संज्ञा के साथ आकर यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं । जैसे : ऐसा आदमी, कैसा घर, उतना काम, जैसा देश वैसा भेष - इत्यादि ।

6.2.4.2 गुणवाचक विशेषण

संज्ञा के गुण का बोध करानेवाला विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। यथा - लाल साड़ी, अच्छा आदमी, निर्धन छात्र, मीठा आम । विशेषण विशेष्य (संज्ञा) के बारे में कुछ कहता है । गुणवाचक विशेषण विशेष्य (संज्ञा) के गुण-कथन के द्वारा उसकी अर्थ-व्याप्ति को सीमित करता है । उपर्युक्त वाक्यांशों (phrases) में 'लाल, अच्छा, निर्धन, मीठा' विशेषण हैं जो क्रमशः 'साड़ी, आदमी, छात्र, आम' - इन विशेष्यों (संज्ञाओं) की अर्थ-व्याप्ति को सीमित करते हैं । गुणवाचक विशेषणों की संख्या और सब विशेषणों की अपेक्षा अधिक है। वे निम्नलिखित अर्थों में प्रयुक्त होते हैं -

1. काल - नया, पुराना, भूत, वर्तमान, प्राचीन, अगला, पिछला, आगामी आदि । कालवाचक विशेषण काल-संबंधी गुण बतलाता है ।
2. स्थान - स्थानवाचक विशेषण स्थानविषयक गुण बतलाता है । यथा - ऊँचा, नीचा, भीतरी, बाहरी, सीधा, संकरा, गहरा, तिरछा - आदि ।
3. आकार - आकारवाचक विशेषण से आकार - संबंधी गुण का बोध होता है। यथा - गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर, नुकीला - आदि ।
4. रंग - रंग अथवा वर्णवाचक विशेषण से किसी संज्ञा का वर्ण ज्ञात होता है। यथा- काला, पीला, हरा, लाल, नीला, सफ़ेद, चमकीला - आदि ।
5. दशा - दशावाचक विशेषण से किसी की दशा का बोध होता है । यथा - दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, पालतू, रोगी, स्वस्थ, ठंडा, गरम - आदि ।
6. गुण - गुणवाचक विशेषण से किसी संज्ञा के गुण का बोध होता है । यथा- भला, बुरा, पापी, दानी, दुष्ट, सीधा, शांत

इनके अतिरिक्त 'मीठा, खट्टा, नमकीन' - आदि स्वादवाचक विशेषण भी हैं और 'जवान, अधेड़, बूढ़ा' - आदि आयुवाचक विशेषण भी हैं । वास्तव में स्वादवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषणों के अंतर्गत आते हैं और आयुवाचक विशेषण दशावाचक विशेषणों के अंतर्गत ।

6.2.4.3 संख्यावाचक विशेषण

जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या - विषयक विशेषता बतलाता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं । संख्यावाचक विशेषण का संबंध उसी संज्ञा से होता है जो गणनीय पदार्थ का बोध कराती है । यथा - एक, दो, पाँच, दस, बीस, पचास, सौ, हजार ।

संख्या कभी तो निश्चित हो सकती है । जैसे - एक, दो, दस और कभी अनिश्चित हो सकती है । जैसे - कुछ, थोड़े । संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के दो भेद किये जा सकते हैं - निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक ।

6.2.4.3.1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण

जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं । जैसे - एक लड़का, पच्चीस रूपये, सौ लोग । इन वाक्यांशों में 'एक, पच्चीस, सौ' से संज्ञाओं की निश्चित संख्या का बोध होता है । निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के पाँच भेद हैं :- गणवाचक, क्रमवाचक आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक ।

6.2.4.3.1.1 गणवाचक विशेषण

जो निश्चित संख्यवाचक विशेषण वस्तुओं की गिनती में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें गणवाचक अथवा गणनावाचक विशेषण कहते हैं । यथा - दो बच्चे, चार घोड़े, पाँच किताबें । गणवाचक विशेषणों के दो भेद हैं - पूर्णांकबोधक और अपूर्णांकबोधक ।

6.2.4.3.1.1.1 पूर्णांकबोधक

जो गणनावाचक विशेषण पूर्ण अंक का बोध कराते हैं, वे पूर्णांकबोधक कहलाते हैं । जैसे - एक, दो, दस, पचास, अस्सी, सौ, हजार - आदि । पूर्णांकबोधक विशेषण दो प्रकार से लिखे जाते हैं - शब्दों में और अंकों में । बड़ी

बड़ी संख्याएँ अंकों में लिखी जाती हैं । परंतु छोटी छोटी संख्याएँ बहुधा शब्दों में लिखी जाती हैं । कुछ पूर्णांकबोधकों के नाम और अंक निम्नलिखित हैं :-

एक १	नौ ९	पचास ५०	चौरानबे ९४
दो २	दस १०	अट्ठावन ५८	छियानबे ९६
तीन ३	बीस २०	सड़सठ ६७	अट्ठानबे ९८
चार ४	अट्ठाईस २८	उन्यासी ७९	निन्यानबे ९९
पाँच ५	तीस ३०	बयासी ८२	सौ १००
छः ६	छत्तीस ३६	नवासी ८९	दो सौ पचहत्तर २७५
सात ७	अड़तीस ३७	नब्बे ९०	हजार १०००
आठ ८	बयालीस ४२	तिरानबे ९३	लाख १०००००

6.2.4.3.1.1.2 अपूर्णांकबोधक

जो संख्यावाचक विशेषण पूर्ण संख्या के किसी भाग का बोध कराते हैं, वे अपूर्णांकबोधक कहलाते हैं । जैसे : पाव (चौथाई भाग), आधा, पौन (तीन चौथाई), सवा (एक पूर्णांक चौथाई भाग, ढाई (दो पूर्णांक और आधा), डेढ़ (एक पूर्णांक और आधा) - इत्यादि । कुछ अपूर्णांकबोधक विशेषणों के नाम और अंक निम्नलिखित हैं :-

पाव = , आधा = १/२, पौन = ३/४,

सवा = ९१/४, डेढ़ ९१/२, पौने दो = ९३/४,

ढाई = २१/२, पौने तीन = २३/४, सवा दो = २१/४, साढ़े तीन = ३१/२, सवा सौ = ९२४

ढाई सौ = २५०, साढ़े तीन हजार = ३५००, पौने पाँच लाख = ४,७५,०००

अपूर्णांकबोधक शब्द मापतौल वाचक संज्ञाओं के साथ भी प्रयुक्त होते हैं । यथा - सवा सेर, डेढ़ गज, पौने तीन कोस - इत्यादि ।

एक के अनिश्चय के लिए उसके साथ 'आध' जोड़ा जाता है । जैसे - एक आध टोपी, एक आध कवित्त !

पूर्णांक बोधक विशेषण के साथ 'एक' लगाने से 'लगभग' अर्थ का बोध होता है । जैसे - दस एक आदमी, बीस एक गायें - इत्यादि । 'सौ एक' का अर्थ 'सौ के लगभग' है, परंतु 'एक सौ एक' का अर्थ 'सौ और एक' है ।

अनिश्चय अथवा अनादर के अर्थ में 'ठो' जोड़ा जाता है । जैसे - दो ठो रोटियाँ, पचास ठो आदमी ।

जब कोई भी दो पूर्णांक बोधक विशेषण साथ साथ आते हैं तो अनिश्चय का बोध होता है । जैसे - दो चार दिन में, दस बीस रूपये, सौ दो सौ आदमी - इत्यादि । 'डेढ़ दो', 'अढ़ाई तीन' आदि भी बोलते हैं । 'उन्नीस बीस' कहने से कुछ कमी समझी जाती है । जैसे - 'बीमारी अब उन्नीस बीस है ।' 'तीन पाँच' का अर्थ 'लड़ाई' है और 'तीन तेरह' का अर्थ 'तितर-बितर' है ।

' बीस ' ' पचास ', ' सैकड़ा ', ' हजार ', ' लाख ', ' करोड़ ' में ' ओं ' जोड़ने से अनिश्चय का बोध होता है। जैसे : बीसों आदमी

पचासों घर
सैकड़ों लोग
हजारों बरस
लाखों चींटियाँ
करोड़ों रूपये

6.2.4.3.1.2 क्रमवाचक

क्रमवाचक विशेषण से किसी वस्तु की क्रमानुसार गणना का बोध होता है। जैसे - पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नौवाँ इत्यादि ।

पूर्णांकबोधक विशेषणों से क्रमवाचक विशेषण बनाये जाते हैं । पहले चार क्रमवाचक विशेषण नियमरहित हैं । 'पाँच' से लेकर आगे के शब्दों में 'वाँ' जोड़ने से क्रमवाचक विशेषण बनते हैं । जैसे -

पूर्णांक बोधक	**क्रमवाचक**
एक	पहला
दो	दूसरा
तीन	तीसरा

चार	चौथा
पाँच	पाँचवाँ
छः, छह	छठा, छठवाँ
सात	सातवाँ
आठ	आठवाँ
नौ	नौवाँ
दस	दसवाँ
पंद्रह	पंद्रहवाँ
पचास	पचासवाँ
नब्बे	नब्बेवाँ
सौ	सौवाँ
एक सौ एक	एक सौ एकवाँ
एक सौ दस	एक सौ दसवाँ
दो सौ पचास	दो सौ पचासवाँ
सात सौ तीस	सात सौ तीसवाँ
हजार	हजारवाँ
लाख	लाखवाँ
करोड़	करोड़वाँ
अरब	अरबवाँ

कभी-कभी संस्कृत क्रमवाचक विशेषण भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं । जैसे - प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, नवम, दशम ।

6.2.4.3.1.3 आवृत्तिवाचक

आवृत्तिवाचक विशेषण से जाना जाता है कि उसके विशेष्य का वाच्य पदार्थ कै गुना है । जैसे - दुगुना, तिगुना, चौगुना, पँचगुना, सौगुना - इत्यादि ।

पूर्णांकबोधक विशेषण के साथ 'गुना' जोड़ने से आवृत्तिवाचक विशेषण बनते हैं । जब 'गुना' जुड़ता है तो 'दो' से लेकर 'आठ' तक संख्यावाचक विशेषणों में आद्य स्वर का कुछ विकार होता है । जैसे - दुगुना/दूना, छगुना, सतगुना, अठगुना

परत अथवा प्रकार के अर्थ में 'हरा' जोड़ा जाता है । जैसे - इकहरा, दुहरा, तिहरा, चौहरा - इत्यादि ।

कभी-कभी हिन्दी में संस्कृत के आवृत्तिवाचक विशेषण भी प्रयुक्त होते हैं । जैसे - द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण आदि ।

6.2.4.3.1.4 समुदायवाचक

जो विशेषण किसी पूर्णांकबोधक संख्या का बोध कर ो हैं, वे 'समुदायवाचक' कहलाते हैं । जैसे - दोनों हाथ, आठों लड़के, चालीसों ोर - इत्यादि ।

पूर्णांकबोधक विशेषणों के आगे ओं' जोड़ने से समुदायवाचक विशेषण बनते हैं । जैसे - चार-चारों, दस-दसों, सोलह-सोलहों इत्यादि ।

समुदायवाचक विशेषणों की द्विरुक्ति से अवधारण प्रकट होता है । जैसे - पाँचों के पाँचों आदमी चले गए ।

दोनों के दोनों लड़के मूर्ख निकले ।

निम्नलिखित संज्ञाओं से समुदाय का बोध होता है । जोड़ा, जोड़ी, जोड़ी = दो का समूह ।

समुदायवाचक शब्द	**अर्थ**
जोड़ा, जोड़ी	दो
दहाई	दस
कौड़ी, बीसा, बीसी	बीस
बत्तीसी	बत्तीस
छक्का	छः
गंडा	चार
गाही	पाँच
चालीसा	चालीस
सैकड़ा	सौ
दर्जन	बारह
युग्म	दो
पंचक	पाँच

अष्टक	आठ
दशक	दस
शतक	सौ
शती	सौ
सदी	सौ (का समूह, वर्षों का समूह)
सप्तशती, सतसई	सात सौ

उपर्युक्त समुदायबाचक शब्द संज्ञाएँ हैं । किन्तु 'दोनों, तीनों, पाँचों, सोलहों' - आदि शब्द समुदायवाचक विशेषण हैं ।

6.2.4.3.1.5 प्रत्येकबोधक

प्रत्येकबोधक विशेषण कई वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है । जैसे - हर घड़ी, हरेक आदमी, प्रत्येक जन्म । - इन वाक्यांशों में 'हर, हरेक, प्रत्येक' प्रत्येकबोधक विशेषण हैं ।

गणनावाचक विशेषणों की द्विसक्ति भी 'प्रत्येक' अर्थ का बोध कराती है । जैसे - एक एक लड़के को आदा आधा फल मिला। दो दो घण्टे के बाद दी जाए।

6.2.4.3.2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण

जो संख्यावाचक विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं । जैसे - एक दूसरा, अन्य और, सब, सर्व, सकल, समस्त, कुछ, बहुत, अनेक, कई, नाना, अधिक, ज्यादा, कम, कुछ - इत्यादि।

अनिश्चित संख्या के अर्थ में इनका प्रयोग बहुवचन में होता है । ये विशेषण भी बिना विशेष्य के, संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं । इनमें से कोई कोई परिमाणबोधक विशेषण भी होते हैं । निम्नलिखित अर्थों में 'एक' का प्रयोग होता है ।

अर्थ	प्रयोग
1. कोई	एक दिन ऐसा हुआ । हमने एक बात सुनी है ।
2. द्विरुक्ति से बहुवचन का अर्थ	एक रोता है और और एक हँसता है ।
3. केवल	एक तुम्हारे ही दुःख से हम दुःखी हैं ।
4. 'सा' जोड़ने से 'समान' का अर्थ	दोनों का रूप एकसा है ।
5. अनिश्चय	कोई एक, दस एक, कुछ एक
6. 'यह वह' के अर्थ में	"पुनि बंदौ शारद सुर सरिता । युगल पुनील मनोहरचरिता ।। मज्जन पान पाप हर एका । कहत सुनत इक हर अविवेका ।" (रामचरितमानम)

'दूसरा', 'दो' का क्रमवाचक विशेषण है । यह 'प्रकृत प्राणी या पदार्थ से भिन्न' के अर्थ में आता है । जैसे - 'यह दूसरी बात है ।' 'अन्य' 'और' इसके पर्यायवाची हैं। जैसे - दूसरा पदार्थ (= अन्य पदाप्थ), दूसरी जाति (= और जाति) । 'एक दूसरा' यौगिक शब्द है जिसका प्रयोग 'आपस' के अर्थ में होता है । यह बहुधा सर्वनाम के समान संज्ञा के बदले में आता है । जैसे - लड़के एक दूसरे से लड़ते हैं ।

'सब' से पूरी संख्या सूचित होती है किन्तु अनिश्चित रूप से । 'सब' के अर्थ में दस भी शामिल है और सौ भी । इसका प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है । जैसे - सब लोग, सब बच्चे, सब कपड़े ।

निम्नलिखित अर्थों में 'सब' का प्रयोग होता है :

अर्थ	प्रयोग
1. संपूर्ण प्राणी अथवा पदार्थ	सब यही बात कहते हैं । सब के दाता राम । आत्मा सब में व्याप्त है । मैं सब जानता हूँ ।
2. समस्तता	सब के सब लड़के लौट आए ।
3. हर चीज़	हम समझते सब कुछ हैं ।
4. हरेक	सब कोई अपनी बड़ाई चाहते हैं ।

सर्व, सकल, समस्त, कुल - ये चारों 'सब' के पर्यायवाची हैं । इन शब्दों का प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है ।

'बहुत' अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है । 'बहुत' के साथ 'से' और 'सारे' जोड़ने से कुछ अधिक संख्या का बोध होता है । जैसे - बहुत-से लोग ऐसा समझते हैं ।

बहुत सारे लड़के ।

'बहुत कुछ' का प्रयोग 'बहुत-से' के अर्थ में होता है । जैसे -

बहुत कुछ आदमी आये थे ।

'अनेक' और कई समानार्थक हैं । 'अनेक' एक का उलटा है । इससे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता । जैसे -

अनेक जन्म ।

मैं ने उसे अनेक बार समझाया ।

आकाश में अनेक तारे हैं ।

विविधता के अर्थ में 'अनेक' में 'ओं' जोड़ा जाता है । जैसे -

अनेकों रोग ।

अनेकों मनुष्य ।

अनेकों जातियाँ ।

'कई प्रकार का' - इस अर्थ में 'कई' के साथ बहुधा 'एक' आता है । जैसे -

कई एक कारणों से ।

इस समस्या को सुलझाने के कई एक ढंग हैं ।

'अधिक' 'ज्यादा' 'कम' - इनका प्रयोग भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के समान होता है । जैसे -

अधिक छात्र, ज्यादा लोग, कम लोग । 'कुछ' मूलतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम है । किन्तु जब गणनीय संज्ञाओं के साथ आता है तो अनिश्चित संख्या को भी द्योतित करता है । यह 'बहुत' का उलटा है । जैसे - कुछ जगहें, कुछ लड़के, कुछ फूल ।

जब 'कुछ' में 'एक' जोड़ा जाता है तो अनिश्चित संख्या का द्योतन होता है । जैसे - कुछेक लड़कियाँ ।

'कितने' के अर्थ में 'कै' का प्रयोग है । जैसे -

कै लोग ? कै आम ?

इसके उत्तर में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी आते हैं । जैसे - बहुत लोग, अधिकतर लोग, ज्यादा आम ।

6.2.4.4 परिमाणबोधक विशेषण

जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराता है, उसे 'परिमाणबोधक विशेषण' कहते हैं । जैसे - और, सब, सारा, समूचा, अधिक, ज्यादा, बहुत, कुछ, कम - आदि । परिमाणबोधक विशेषण के भी दो भेद हैं - निश्चित और अनिश्चित ।

6.2.4.4.1 निश्चित परिमाणबोधक विशेषण

संख्यावाचक विशेषण के साथ परिमाणबोधक शब्द जोड़ने से निश्चित परिमाणबोधक विशेषण बनते हैं । जैसे - दो सेर (घी), चार गज (मलमल), पाँच लीटर (दूध), तीन मीटर (कपड़ा) ।

एक परिमाण सूचित करने के लिए परिमाणबोधक शब्द के साथ 'भर' प्रत्यय जोड़ा जाता है । जैसे -

एक गज कपड़ा = गज भर कपड़ा ।

एक तोला सोना = तोले भर सोना ।

एक हाथ जगह = हाथ भर जगह ।

'भर' का प्रयोग 'पूर्ण, सारा, पूरा' के अर्थ में भी होता है । जैसे -

कमर - भर पानी ।

चम्मच - भर चीनी ।

मीटर-भर लंबी छड़ी ।

मुट्ठी-भर चावल

वह उम्र-भर काम करता रहा ।

वह दिन-भर लिखता रहा ।

देश-भर में ।

6.2.4.4.2 अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण

जो विशेषण अनिश्चित परिमाण के बोधक होते हैं, वे 'अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण' कहलाते हैं । जैसे - और घी, सब धान, बहुतेरा काम, कम उम्र ।

'अल्प' 'किंचित्' 'ज़रा' केवल परिमाणवाचक हैं । परिमाणवाचक संज्ञाओं में 'ओं' जोड़ने से उनका प्रयोग अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषणों के समान होता है । जैसे - ढेरों इलायची, मनों सुपारी, गाड़ियों फल - इत्यादि ।

6.2.5 भेदक विशेषण और भेद्य-भेदक भाव

भेद्य - भेदक भाव भेदक विशेषण का आधार है । भेदक विशेषण के प्रयोग से भेदक तत्व के आधार पर विशेष्य की अर्थ-व्याप्ति मर्यादित की जाती है । जैसे- मेरा भाई ।

राम का घर ।

इन वाक्यांशों में 'मेरा' 'राम का' भेदक विशेषण हैं । 'भाई' 'घर' विशेष्य अथवा भेद्य हैं । जो विशेषण विशेष्य को अलग करते हैं, वे 'भेदक विशेषण' कहलाते हैं । 'मेरा' विशेषण 'भाई' को दूसरे भाइयों से और 'राम का' विशेषण 'घर' को दूसरे घरों से पृथक् कर देता है ।

समस्त तद्धितान्त विशेषण भेदक विशेषण होते हैं । जैसे - पेटू आदमी, ढालू रास्ता, घुमावदार सीढ़ी, किताबी कीड़ा, पहाड़ी चढ़ाव, मद्रासी क्लर्क, कँटीला मार्ग, जंगी बेड़ा - इत्यादि। ऐसे भेदक विशेषण तुलनीय नहीं होते, गुणवाचक विशेषण तुलनीय होते हैं।

6.2.6 विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण

वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है - संज्ञा के साथ और क्रिया के साथ । विशेष्य (संज्ञा) के पहले आनेवाला विशेषण 'विशेष्य विशेषण' कहलाता है और क्रिया के पहले आनेवाला विशेषण 'विधेय विशेषण' कहलाता है । जैसे -

काला कुत्ता दौड़ रहा है ।

किताब नयी है ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'काला' विशेष्यविशेषण है और 'नयी' विधेय विशेषण है। विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं । यथा -

नीली झील, पक्का रास्ता, तीखी आवाज़, नंगे बच्चे ।

उपर्युक्त वाक्यांशों में विशेषण विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त हैं ।

एक विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो वह निकटवर्ती विशेष्य के लिंग और वचन को अपनाता है । यथा -

पीला कुर्ता और धोती ।

अच्छी कलम और कागज़ ।

6.2.7 विशेषणों की रचना एवं वर्गीकरण

संज्ञाओं से बने विशेषणों का वर्गीकरण इस प्रकार है :

1	2	3
व्यक्तिवाचक संज्ञा - विशेषण	**जातिवाचक संज्ञा - विशेषण**	**भाववाचक संज्ञा - विशेषण**
अमेरिका - अमरीकी	सोना - सुनहरा	न्याय - न्यायी
जापान - जापानी	पानी - पनीला	धर्म - धार्मिक
गाजीपुर - गाजीपुरी	पशु - पाशविक	दया - दयालु
जायस - जायसी	कागज़ - कागज़ी	कृपा - कृपालु
मुरादाबाद - मुरादाबादी	किताब - किताबी	
बनारस - बनारसी	घर - घरेलू	

सर्वनामों से बने विशेषणों का वर्गीकरण

सर्वनाम	विशेषण		
	1	2	3
	प्रकारवाचक	संख्यावाचक	परिमाणवाचक
यह	ऐसा (आदमी)	इतने (लोग)	इतना (दूध)
वह	वैसा	उतने	उतना
कौन	कैसा	कितने	कितना
जो	जैसा	जितने	जितना

प्रत्यय के योग से बने विशेषणों का वर्गीकरण

1	2	3
संज्ञा + प्रत्यय = विशेषण	अव्यय + प्रत्यय = विशेषण	क्रिया + प्रत्यय = विशेषण
अर्थ + इक = आर्थिक	बाहर + ई = बाहरी	पूज् + अनीय = पूजनीय
गुण + ई = गुणी	अंदर + ऊनी = अंदरुनी	पठ् + अनीय = पठनीय
संयम + ई = संयमी	भीतर + ई = भीतरी	स्मर् + अनीय = स्मरणीय
प्रदेश + इक = प्रादेशिक		कृ + अनीय = करणीय
लोक + इक = लौकिक		दृश् + अनीय = दर्शनीय
मूल + इक = मौलिक		भाष् + ई = भाषी

कृदन्तों से बने विशेषण

1	2
वर्तमानकालिक कृदन्त	भूतकालिक कृदन्त
चलती (चक्की)	पढ़ा-लिखा (आदमी)
उड़ती (खबर)	मरा (जानवर)
बहता (पानी)	भूले-बिसरे (चित्र)
उतरती (नदी)	सूखे (पत्ते)
भागता (भूत)	बीता (समय)

तद्धित विशेषण

1	2
विकारी शब्दों से बने तद्धित विशेषण	अविकारी शब्दों से बने तद्धित विशेषण
घुमावदार (सड़क)	अगला (दिन)
किताबी (कीड़ा)	पिछला (ब्रैंड)
जंगी (बेड़ा)	निचला (दर्जा)
मद्रासी (घड़ी)	बिचला (मार्ग)
बनारसी (बाबू)	ऊपरी (सतह)
गेरुआँ (वस्त्र)	बाहरी (हवा)
आसमानी (तलवार)	अंदरूनी (बात)
कँटीला (मार्ग)	भीतरी (मामला)
ज़ोरदार (हवा)	बिचवैया (दलाल)

रूप की दृष्टि से विशेषणों का वर्गीकरण

1	2
विकारी विशेषण	अविकारी विशेषण
अच्छा, भला, बुरा, बड़ा, छोटा, लंबा, मोटा, मीठा, पहला	सुंदर, नेक, दयालु, कृपालु

(उर्दू के) कुछ आकारान्त विशेषण हिन्दी में अविकारी विशेषण हैं । यथा - ज्यादा, बढ़िया, ताज़ा, मौजूदा, रंजीदा, बेहूदा, जुदा, पेचीदा - आदि ।

6.2.8 तुलनात्मक विशेषण

दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना दर्शानेवाले विशेषण को 'तुलनात्मक विशेषण' कहते हैं । तुलना केवल गुणवाचक विशेषणों की होती है । तुलना की तीन अवस्थाएँ हैं। i) मूलावस्था, ii) उत्तरावस्था और iii) उत्तमावस्था। मूलावस्था में वस्तु के मूल गुण का कथन मात्र होता है । जैसे - सोना पीला होता है । ताँबा लाल होता है । विशेषण के जिस रूप से दो वस्तुओं में किसी एक के गुण की अधिकता या न्यूनता सूचित

होती है, उस रूप को उत्तरावस्था कहते हैं । जैसे - अंग्रेजी की अपेक्षा हमारे लिए हिन्दी सरल है ।

चेला गुरु से अधिक तेज निकला ।

राम लक्ष्मण से बड़ा है ।

विशेषण की उत्तमावस्था उसे कहते हैं जिससे दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से किसी एक के गुण की सर्वाधिकता या न्यूनता सूचित होती है । यथा - सब से अच्छा देश हमारा । फलों में आम सब से मीठा है । विनय क्लास में सब से छोटा है । रामचरितमानस तुलसीदास की सुंदरतम रचना है ।

6.3 सारांश

इस इकाई में आपने विशेषण के बारे में पढ़ा है । इसके प्रमुख अंश इस प्रकार हैं :-

- विशेषण से संज्ञा की अर्थ-व्याप्ति मर्यादित होती है ।
- विशेषण से जिस संज्ञा की अर्थ-व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे विशेष्य कहते हैं ।
- विशेषण अथवा क्रियाविशेषण की विशेषता बतानेवाले शब्द 'प्रविशेषण' कहलाते हैं ।
- पं कामता प्रसाद गुरु ने संख्यावाचक के उपभेद के रूप में परिमाणबोधक का निरूपण किया है ।
- अन्य वैयाकरणों ने परिमाणबोधक को विशेषण का चौथा भेद माना है।
- समस्त तद्धितान्त विशेषण भेदक विशेषण होते हैं ।
- प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हैं - विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण
- विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया में प्रत्यय जोड़ने से होती है ।
- रूपांतर की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हैं - विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण ।
- वर्तमानकालिक कृदन्त, भूतकालिक कृदन्त और कई तद्धित विशेषणों के समान प्रयुक्त होते हैं ।

- वस्तुओं और व्यक्तियों की पहचान में वर्गीकरण एवं विश्लेषण में विशेषणों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है ।
- तुलना मनुष्य की निर्णायक बुद्धि का सुफल है । तुलनीय अंशों के प्रकाशन में विशेषणों का योगदान उल्लेखनीय है ।
- संख्यात्मक इकाइयों के मानसूचक संज्ञाविशेषणपदों में बहुवचन सूचक 'ओं' प्रत्यय लगता है । यथा : तीनों, चारों, पाँचों, हजारों ।
- कुछ संज्ञाविशेषण अन्य संज्ञाविशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं । जैसे: बहुत बड़ा मकान ।
  कम गहरा कुआँ ।
  बड़ा सयाना लड़का ।

6.4 बोध-प्रश्न

i) विशेष्य और प्रविशेषण में क्या अंतर है ?

ii) टिप्पणी लिखिए :

अ) विशेषण के कार्य (आ) क्रमवाचक विशेषण (इ) आवृत्तिवाचक विशेषण (ई) अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण (उ) तुलनात्मक विशेषण

6.5 बोध-प्रश्नों के उत्तर-संकेत

i) देखिए उपपाठ 6.2.2

ii) अ) देखिए उपपाठ 6.2.3 (आ) 6.2.4.3.1.2 (इ) 6.2.4.3.1.3 (ई) 6.2.4.4.2 (उ) 6.2.8

6.6 परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

विशेषण की परिभाषा देते हुए, उसके भेदोपभेदों का सोदाहरण विवेचन कीजिए ।

6.7 उत्तर-संकेत

देखिए उपपाठ 6.2.1, 6.2.4 से लेकर 6.2.4.4.2 तक

6.8 अध्ययन - सामग्री

1) परिष्कृत हिन्दी व्याकरण - बदरीनाथ कपूर

2) हिन्दी व्याकरण - पं. कामता प्रसाद गुरु

3) मानक हिन्दी व्याकरण और रचना - डा. हरिवंश तरुण

4) शिक्षार्थी हिन्दी व्याकरण - प्रो. ना. नागप्पा

5) हिन्दी का व्यावहारिक व्याकरण - डा. विजयपाल सिंह

6) भाषा भास्कर - पाद्री एथरिंगटन

NOTES

BLOCK - 06

Unit 07

क्रिया

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 मूलपाठ - क्रिया

7.2.1 क्रिया और धातु की परिभाषा

7.2.2 धातु के भेद

7.2.2.1 मूल धातु

7.2.2.2 यौगिक धातु

7.2.2.3 सकर्मक धातु

7.2.2.4 अकर्मक धातु

7.2.2.5 प्रेरणार्थक धातु

7.2.2.6 नामधातु

7.2.2.7 अनुकरणधातु

7.2.2.8 संयुक्त धातु

7.2.2.9 सारांश

7.3 बोध-प्रश्न

7.4 बोध-प्रश्नों के उत्तर-संकेत

7.5 परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

7.6 उत्तर-संकेत

7.7 अध्ययन - सामग्री

7.0 उद्देश्य

भाषा के निर्माण में क्रिया की भूमिका महत्व - पूर्ण होती है । वाक्य का सर्वस्व क्रिया पर अवलम्बित है । क्रियापद से ही कर्ता और कर्म का स्वरूप परिभाषित किया जाता है । इस इकाई का उद्देश्य है - हिन्दी के शब्द-भेद 'क्रिया' को परिभाषित करना, वर्गीकृत करना और सोदाहरण विश्लेषित करना । हिन्दी की वाक्य-संरचनाओं की जानकारी के लिए क्रिया पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है ।

7.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में क्रिया के स्वरूप, परिभाषा और प्रकारों पर विचार किया जाएगा । क्रिया और धातु का अंतर स्पष्ट किया जाएगा । मूल धातु, यौगिक धातु, अकर्मक धातु, सकर्मक धातु, प्रेरणार्थक धातु और नामधातु धातु के विभिन्न प्रकार हैं ।

7.2 मूलपाठ : क्रिया

प्रस्तुत इकाई का प्रतिपाद्य आठ उपपाठों में विभक्त किया जाता है जिनमें क्रिया के अनेकों सूक्ष्म भेदों का निरूपण है । होना, बढ़ना, घटना, नष्ट होना, पढ़ना, खाना, पीना - आदि क्रियाएँ हैं । क्रिया - पद किसी की कोई स्थिति बतलाते हैं । 'गोपाल विद्वान् है' वाक्य में 'है' क्रिया है, जिसका संबंध 'विद्वान्' से है । गोपाल में विद्वत्ता है - यह कहना है । 'है' का प्रयोग विद्वत्ता के अस्तित्व का बोधक है ।

7.2.1 क्रिया और धातु की परिभाषा

पं. कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में - "जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं।"

उदाहरण :

i) घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए **कहा** । (कफ़न - प्रेमचंद)

ii) बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही **होती** हैं । (बड़े घर की बेटी - प्रेमचंद)

iii) अकर्मण्यता ने रस्सी की भाँति उसे चारों तरफ़ से **जकड़ रखा था**। (पूस की रात - प्रेमचंद)

iv) भोला को मरे एक महीना **गुज़र चुका था**। (अलग्योझा-प्रेमचंद)

v) भगवान सब को बराबर **बनाते हैं** । यहाँ जिसके हाथ में लाठी **है**, वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी **बन जाता है** । (गोदान - प्रेमचंद)

vi) संसार में गऊ बनने से काम **नहीं चलता** । जितना **दबो** उतना ही लोग **दबाते हैं** । (गोदान - प्रेमचंद)

क्रिया वह विकारी शब्द है, जिससे किसीका कुछ करना या होना ज्ञात हो। ऊपरी वाक्यों में 'कहा' 'होती हैं' 'जकड़ रखा था' 'गुज़र चुका था' 'बनाते है' 'है' 'बन जाता है' 'नहीं चलता' 'दबाते हैं' क्रियापद हैं ।

प्रो. नागप्पाजी के शब्दों में 'कार्य या व्यापार - बोधक शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे - मैं चला । यहाँ 'चला' व्यापार-बोधक शब्द है । अतः क्रिया है।

'भाषाभास्कर' के अनुसार - 'क्रिया उसे कहते हैं जिसका मुख्य अर्थ करना है । वह काल, पुरुष और वचन से संबंध रखती है ।'

क्रिया का मूल रूप 'धातु' कहलाता है । पं. कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में - "जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, उसे धातु कहते हैं । जैसे - 'भागा' क्रिया में 'आ' प्रत्यय है, जो 'भाग' मूल शब्द में लगा है; इसलिए 'भागा' क्रिया का धातु 'भाग' है । इसी तरह 'आए' क्रिया का धातु 'आ', 'जाऊँगा' क्रिया का धातु 'जा' और 'होता है' क्रिया का धातु 'हो' है ।'

'भाषाभास्कर' में कहा गया है कि क्रिया के मूल को धातु कहते हैं और उसके अर्थ से व्यापार का बोध होता है । धातु और क्रिया में यह अंतर है कि धातु से व्यापार का बोध होता है, किन्तु क्रिया से व्यापार के घटित होने के समय (काल), वचन, पुरुष - आदि का बोध होता है ।

क्रियापद को विधेय कहते हैं । क्रियापद जिस व्यक्ति और वस्तु के संबंध में विधान करते हैं उसके सूचक संज्ञा या संज्ञातुल्य पद को उद्देश्य कहते हैं । उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक होते हैं । जैसे :

	उद्देश्य	विधेय
I	हरिधन ने	देखा ।
II	कोई बात	न सूझी ।
III	रात के नौ	बज गए थे ।
IV	वसुधा की साध	पूरी हुई ।
V	भूख	लग रही है ।
VI	पानी की आवाज़	कम हो गई थी ।
VII	आने-जानेवालों की चहल-पहल	बढ़ गई थी ।
VIII	लोग	चिल्ला रहे थे ।
IX	तुम लोग	जीतोगे ।
X	कबीर की पंक्ति	याद आ गई ।

7.2.2 धातु के भेद

'धातु' वह अंश है जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे :-

उपर्युक्त सभी क्रिया-रूपों में पाया जानेवाला साधारण अंश 'पढ़' धातु है। धातु के अंत में 'ना' जोड़ने से क्रिया का साधारण रूप बनता है, जैसे - भागना, आना, जाना, रोना, सोना, पीना - इत्यादि । शब्दकोशों में धातु का साधारण रूप उल्लिखित होता है । धातु के इस साधारण रूप से 'ना' निकालकर भी धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है । क्रिया के मूल रूप या धातु के अर्थ में 'ना' वाले रूप ही प्रचलित हैं । जैसे :-

धातु	अर्थ
उजाड़ना	नष्ट करना
घोकना	पाठ की बार बार आवृत्ति करना, रहना
चमचमाना	चमकना
चिड़चिड़ाना	चिढ़ना, झुँझलाना
चिटकना	कलियों का खिलना
चुखाना	दुहने से पूर्व बछड़े को दूध पिलाना
बकना	बड़बड़ाना
सालना	खटकना, कसकना
झेंपना	लज्जित होना, शरमाना
ठेलना	ढकेलना, धक्का देना

क्रिया के साधारण रूप को 'क्रियार्थक संज्ञा' भी कहते हैं । क्योंकि क्रिया के साधारण रूप का प्रयोग संज्ञा के समान होता है । जैसे :-

पढ़ना एक गुण है ।

कहना आसान है ; करना मुश्किल है ।

मैं पढ़ना सीख रहा हूँ ।

छुट्टी में अपना पाठ पढ़ना ।

अंतिम वाक्य में 'पढ़ना' विधिकाल की क्रिया के समान प्रयुक्त है ।

कोई कोई क्रियाएँ अकेली विधान नहीं कर सकतीं । जैसे :- "राजा दयालु हैं।"

"पक्षी घोंसले बनाते हैं ।" - इन वाक्यों में 'हैं' और 'बनाते हैं' क्रियाएँ अकेली विधान नहीं कर सकतीं । इन क्रियाओं की अर्थपूर्ति के लिए इनके साथ क्रमशः "दयालु" और "घोंसले" शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं । किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि क्रिया की अर्थपूर्ति के लिए प्रयुक्त होनेवाले शब्द क्रिया के अंतर्गत नहीं आते ।

व्युत्पत्ति के अनुसार धातु के दो भेद हैं - मूल धातु और यौगिक धातु ।

7.2.2.1 मूल धातु

मूल धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों । मूल धातु स्वतंत्र होते हैं। जैसे : पढ़, खा, पी, लिख, कर, चल, जा, आ, बैठ, ले, दे, सुन - इत्यादि।

7.2.2.2 यौगिक धातु

जो धातु किसी प्रत्यय के योग से अथवा किसी दूसरे शब्द से बनाये जाते हैं, वे यौगिक धातु कहलाते हैं । जैसे :- 'चलना' से 'चलाना'

'रंग' से 'रंगना'

'चिकना' से 'चिकनाना'

यौगिक धातुओं का निर्माण तीन प्रकार से होता है । यथा :-

i) धातु में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक तथा प्रेरणार्थक धातु बनाये जाते हैं ।

ii) दूसरे शब्द-भेदों में प्रत्यय जोड़कर नामधातु बनाये जाते हैं ।

iii) कई धातुओं के संयोग से संयुक्त धातु बनाये जाते हैं ।

मूल धातु के दो प्रकार हैं - i) अकर्मक और ii) सकर्मक । यौगिक धातु के तीन प्रकार हैं - i) सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातु, ii) नामधातु और संयुक्त धातु। यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रेरणार्थक धातु मूलतः सकर्मक ही होते हैं ।

7.2.2.3 अकर्मक धातु

जिस क्रिया का कर्म न हो तथा जिसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे ' अकर्मक धातु ' कहते हैं । जब अकर्मक धातु का वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे ' अकर्मक क्रिया ' कहते हैं । यथा :-

I वह निढाल होकर खाट पर **लेट गया** ।

II एक अजीब दहशत उसके भीतर **समा गई** ।

III चुनौतियों का सामना ग चुनौतियों का ढोते रहना ही उसकी ज़िन्दगी **रही है**।

IV कितने बसंत **बीत गए** इस तट पर बैठे-बैठे ।

V अब भी उनके भीतर कोई बात **है जो** अटक गई है ।

VI उसके पढ़ने का सहारा **छिन गया था** ।

VII उसे लगा कि हवा का ज़ोर **थम गया** । (राम दरश मिश्र के उपन्यास "आकाश की छत" से उद्धृत)

उपर्युक्त वाक्यों में लेटना, समाना, रहना, बीतना, अटकना, छिनना, लगना, थमना - इन अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है ।

पं. कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में - "जिस धातु से सूचित होनेवाला व्यापार और उसका फल कर्ता ही पर पड़े, उसे अकर्मक धातु कहते हैं ; " जैसे-
गाड़ी चली ।
लड़का सोता है ।

पहले वाक्य में 'चली' क्रिया का व्यापार और उसका फल ' गाड़ी ' कर्ता पर पड़ता है; इसलिए 'चली' क्रिया अकर्मक है । दूसरे वाक्य में ' सोता ' है क्रिया भी अकर्मक है । क्योंकि उसका व्यापार और फल ' लड़का ' कर्ता पर पड़ता है । 'अकर्मक' शब्द का अर्थ 'कर्मरहित' है और कर्म के न होने से क्रिया 'अकर्मक' कहलाती है ।

कुछ धातु प्रयोग के अनुसार सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं । जैसे: खुजलाना, मरना, लजाना, भूलना, घिसना, बदलना, ऐंठना, ललचाना, घबराना - इत्यादि । यथा :

i) मेरे हाथ **खुजलाते हैं** । (शकुंतला - राजा लक्ष्मणसिंह)

ii) उसका बदन **खुजलाकर** उसकी सेवा करने में उसने कोई कसर नहीं की ।
(रघुवंश - पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी)

iii) खेल-तमाशे की चीज़ें देखकर भोले भोले आदमियों का जी **ललचाता है**।
(परीक्षागुरु - लाला श्रीनिवासदास)

iv) ब्राइट अपने असबाब की खरीददारी के लिए मदनमोहन को **ललचाता है**।

v) बूँद बूँद करके तालाब **भरता है** ।

vi) प्यारी ने आँखें **भरके** कहा । (शकुंतला - राजा लक्ष्मणसिंह)

जो धातु अकर्मक और सकर्मक - दोनों होते हैं, वे 'उभयविध धातु' कहलाते हैं ।

कुछ अकर्मक धातु ऐसे हैं, जिनका आशय कभी कभी अकेले कर्ता से पूर्णतया प्रकट नहीं होता । कर्ता के विषय में पूर्ण विधान होने के लिए इन धातुओं के साथ कोई संज्ञा या विशेषण आते हैं । इन क्रियाओं को 'अपूर्ण अकर्मक क्रिया' कहते हैं । जो शब्द (संज्ञा या विशेषण) इनका आशय पूर्ण करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पूर्ति कहते हैं । होना, रहना, बनना, दिखना, निकलना, ठहरना - आदि अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ हैं । उदाहरण :-

i) लड़का चतुर है ।

ii) साधु चोर निकला ।

iii) नौकर बीमार रहा ।

iv) आप मेरे मित्र ठहरे ।

v) यह मनुष्य विदेशी दिखता है ।

इन वाक्यों में 'चोर' 'चतुर' बीमार, 'मित्र' 'विदेशी' - शब्द पूर्ति हैं । पदार्थों के स्वाभाविक धर्म और प्रकृति का नियम बताने के लिए बहुधा ' है ' ' होता है ' - क्रियाओं के साथ संज्ञा या विशेषण का प्रयोग किया जाता है । जैसे :

अ) सोना महँगा पदार्थ है ।

आ) घोड़ा चौपाया है ।

इ) चाँदी सफ़ेद होती है ।

ई) हाथी के कान बड़े होते हैं ।

अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं से साधारण अर्थ में पूरा आशय भी पाया जाता है । जैसे :-

क) ईश्वर है ।

ख) सबेरा हुआ ।

ग) सूरज निकला ।

घ) गाड़ी दिखाई देती है ।

इन वाक्यों में प्रयुक्त अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ पूरा आशय प्रकट करते हैं। इन्हें 'पूर्ति' की आवश्यकता नहीं है। अतः ये अकर्मक क्रियाएँ ज़रूर हैं । किन्तु अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ नहीं हैं।

7.2.2.4 सकर्मक धातु

हमने जाना कि क्रिया से बोधित होनेवाला व्यापार और उसका फल - दोनों कर्ता पर आकर केन्द्रित हो जाएँ तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहा जाता है । पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार - "जिस धातु से सूचित होनेवाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है, उसे सकर्मक धातु कहते हैं। " जैसे :-

i) सिपाही चोर को पकड़ता है ।

ii) नौकर चिट्ठी लाता है ।

पहले वाक्य में 'पकड़ता है' क्रिया के व्यापार का फल ' सिपाही ' (कर्ता) से निकलकर चोर पर पड़ता है । इसलिए 'प्रकड़ता है' क्रिया सकर्मक है । 'पकड़' धातु सकर्मक है । इसरे वाक्य में 'लाता है' क्रिया (अथबा 'ला' धातु) सकर्मक है। क्योंकि उसका फल 'नौकर' (कर्ता) से निकलकर 'चिट्ठी' (कर्म) पर पड़ता है ।

'सकर्मक' शब्द का अर्थ है 'कर्मसहित' । कर्म के साथ आने से क्रिया 'सकर्मक' कहलाती है । सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान ' क्या

'किसको' 'किसे', - आदि प्रश्न पूछने से हो जाती है । समझना चाहिए कि अगर कुछ उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है और नहीं तो अकर्मक निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के साथ आने से सकर्मक क्रिया का प्रयोग द्रष्टव्य है । यथा :-

अ) हीरा ने चौधरी को डाटा ।

आ) होरी ने बैलों को नाँद में लगाया ; सानी-खली दी और एक चिलम भरकर पीने लगा ।

इ) धनिया को कुण्डी में तेल डालना था, इस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी।

ई) यही तो बुराई है उसमें । अपने सामने किसीको गिनता ही नहीं ।

उ) झुनिया ने टोपी उतारकर फेंक दी ।

ऊ) हरखू ने अपने साथियों को ललकारा ।

ए) धनिया ने मौत की सूरत देखी थी । उसे पहचानती थी । उसे दबे पाँव जाते भी देखा था, आँधी की तरह भी देखा था ।

(प्रेमचंद के 'गोदान' से उद्धृत)

'लड़का अपने को सुधार रहा है' - क्रिया सकर्मक है । क्योंकि इस क्रिया के कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति (के वाचक) होने पर भी अलग अलग शब्द हैं। इस वाक्य में 'लड़का' कर्ता और 'अपने को' कर्म है, यद्यपि ये दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के वाचक हैं ।

जब सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल किसी विशेष पदार्थ पर न पड़कर सभी पदार्थों पर पड़ता है, तब उसके कर्म का पृथक् उल्लेख नहीं होता । जैसे:-

i) ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और गूँगा बोलता है ।

ii) इस पाठशाला में कितने लड़के पढ़ते हैं ?

देना, बतलाना, कहना, सुनाना और इन्हीं अर्थों के दूसरे कई सकर्मक धातुओं के दो दो कर्म रहते हैं । ऐसी क्रियाएँ 'द्विकर्मक क्रियाएँ' कहलाती हैं । एक कर्म से बहुधा पदार्थ का बोध होता है और उसे मुख्य कर्म कहते हैं । दूसरा कर्म जो बहुधा प्राणिवाचक होता है, गौण कर्म कहलाता है । जैसे :-

i) राजा ने निर्धनों को धन दिया ।

ii) पण्डित लोगों को कथा सुनाते हैं ।

iii) मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ ।

इन वाक्यों में "धन, कथा, उपाय" - ये मुख्य कर्म हैं । "निर्धनों को, लोगों को, तुम्हें" - ये गौण कर्म हैं ।

स्थिति पर निर्भर होकर धातु का द्विकर्मक होना निश्चित होता है । क्रिया से 'क्या' प्रश्न कीजिए । उत्तर मुख्य कर्म होगा । 'किसको' - प्रश्न का उत्तर गौण कर्म से मिलेगा ।

गौण कर्म कभी लुप्त रहता है । जैसे :

i) राजा ने दान दिया ।

ii) पण्डित कथा सुनाते हैं ।

iii) मैं उपाय बतलाता हूँ ।

कभी-कभी करना, बनाना, समझना, पाना, मानना - आदि सकर्मक क्रियाएँ कर्म के रहते भी पूरा आशय प्रकट नहीं करतीं। इसलिए उनके साथ कोई संज्ञा या विशेषण 'पूर्ति' के रूप में आता है । इन क्रियाओं को 'अपूर्ण सकर्मक क्रियाएँ ' कहते हैं और इनकी पूर्ति को ' कर्मपूर्ति ' कहते हैं । जैसे :-

i) अहल्याबाई ने गंगाधर को अपना दीवान बनाया ।

ii) मैं ने चोर को साधु समझा ।

इन वाक्यों में "दीवान, साधु" - शब्द कर्मपूर्ति हैं ।

साधारण अर्थ में अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं को भी पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती । जैसे :

अ) कुम्हार घड़ा बनाता है ।

आ) लड़के पाठ समझते हैं ।

ये दोनों वाक्य ' कर्मपूर्ति ' के बिना पूरा आशय प्रकट करते हैं ।

कुछ अकर्मक और सकर्मक धातुओं के साथ उन्हीं धातुओं से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएँ कर्म के समान प्रयुक्त होती हैं । जैसे :-

i) लड़का अच्छा चाल चलता है ।

ii) सिपाही कई लड़ाइयाँ लड़ते हैं ।

iii) लड़कियाँ खेल खेल रही हैं ।

iv) पक्षी अनोखी बोली बोलते हैं ।

v) किसान ने चोर को बड़ी मार मारी ।

ऐसे कर्म को 'सजातीय कर्म' और क्रिया को ' सजातीय क्रिया ' कहते हैं।

7.2.2.5 प्रेरणार्थक धातु

पं. कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में - "मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसीकी प्रेरणा समझी जाती है, उसे प्रेरणार्थक धातु कहते हैं ।"

डा. हरिवंश तरुण के शब्दों में - "जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं । जैसे :- i) बाप लड़के से चिट्ठी लिखवाता है ।

ii) मालिक नौकर से गाड़ी चलवाता है ।

पहले वाक्य में मूल धातु 'लिख' का विकृत रूप 'लिखवा' है जिससे जाना जाता है कि लड़का लिखने का व्यापार बाप की प्रेरणा से करता है ; इसलिए 'लिखवा' प्रेरणार्थक धातु है ; " लिखवाता है" प्रेरणार्थक क्रिया है । 'बाप' प्रेरक कर्ता और 'लड़का' प्रेरित कर्ता है । दूसरे वाक्य में 'चलवा' प्रेरणार्थक धातु; "चलवाता है" प्रेरणार्थक क्रिया; 'मालिक' प्रेरक कर्ता और 'नौकर' प्रेरित कर्ता है।

आना, जाना, रुकना, होना, रुचना, पाना - आदि धातुओं से अन्य प्रकार के धातु नहीं बनते। शेष सब धातुओं से दो दो प्रकार के प्रेरणार्थक धातु बनते हैं जिनके पहले रूप बहुधा सकर्मक क्रिया के अर्थ में आते हैं और दूसरे रूप में यथार्थ प्रेरणा समझी जाती है । जैसे :-

I) घर गिरता है ।

II) कारीगर घर गिराता है ।

III) कारीगर नौकर से घर गिरवाता है ।

iv) लोग कथा सुनते हैं ।

v) पण्डित लोगों को कथा सुनाते हैं ।

vi) पण्डित शिष्य से श्रोताओं को कथा सुनवाते हैं ।

सब प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक होती हैं । जैसे :-

अ) दबी बिल्ली चूहों से कान कटाती है ।

आ) लड़के ने कपड़ा सिलवाया ।

पीना, खाना, देखना, समझना, देना, सुनना, - आदि क्रियाओं के दोनों प्रेरणार्थक रूप द्विकर्मक होते हैं । जैसे :-

क) माँ बच्चे को दूध पिलाती है ।

ख) मालकिन नौकरानी से बच्चे को रोटी खिलवाती है ।

ग) बाप ने लड़के को कहानी सुनाई ।

मूल धातु से प्रेरणार्थक बनाने के नियम इस प्रकार हैं :-

1) मूल धातु के अंत में 'आ' जोड़ने से पहला प्रेरणार्थक और 'वा' जोड़ने से दूसरा प्रेरणार्थक बनता है । जैसे :- (धातु के निर्देश के लिए 'ना' जोड़ा गया है ।)

मूल धातु	प्रथम प्रेरणार्थक	द्वितीय प्रेरणार्थक
उठ-ना	उठा-ना	उठवा-ना
गिर-ना	गिरा-ना	गिरवा-ना
चल-ना	चला-ना	चलवा-ना
पढ़-ना	पढ़ा-ना	पढ़वा-ना
फैल-ना	फैला-ना	फैलवा-ना
लिख-ना	लिखा-ना	लिखवा-ना

2) दो अक्षरों के धातु में 'ऐ' या 'औ' को छोड़कर आदि के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करने से तथा 'आ' 'वा' जोड़ने से क्रमशः प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है । जैसे :-

मूल धातु	प्रथम प्रेरणार्थक	द्वितीय प्रेरणार्थक
ओढ़ना	उढ़ाना	उढ़वाना
जागना	जगाना	जगवाना
जीतना	जिताना	जितवाना
डूबना	डुबाना	डुबवाना
भीगना	भिगाना	भिगवाना
लेटाना	लिटाना	लिटवाना

3) 'डूबना' का रूप 'डुबोना' और 'भीगना' का रूप 'भिगोना' भी होता है ।

4) एकाक्षरी धातुओं में 'ला' और 'लवा' लगाते हैं । साथ ही 'दीर्घ' का 'ह्रस्व', 'ए' का 'इ' और 'ओ' का 'उ' कर देते हैं । जैसे :-

पीना	पिलाना	पिलवाना
छूना	छुलाना	छुलवाना
देना	दिलाना	दिलवाना
सोना	सुलाना	सुलवाना
खाना	खिलाना	खिलवाना
धोना	धुलाना	धुलवाना
सीना	सिलाना	सिलवाना
जीना	जिलाना	जिलवाना

'खाना' में आद्य स्वर 'इ' हो जाता है । 'खिलाना' अपने अर्थ के अनुसार 'खिलना' (फूलना) का भी सकर्मक रूप हो सकता है ।

5) कुछ सकर्मक धातुओं से केवल दूसरे प्रेरणार्थक रूप बनते हैं । जैसे :-

गाना	गवाना
खेना	खिवाना
खोना	खोवाना
बोना	बोआना
लेना	लिवाना

6) कुछ धातुओं का प्रथम प्रेरणार्थक रूप 'आ' अथवा 'ला' जोड़ने से बनता है, परंतु द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में 'वा' लगाया जाता है । जैसे :

मूल धातु	प्रथम प्रेरणार्थक	द्वितीय प्रेरणार्थक
कहना	कहाना/कहलाना	कहवाना
दिखता	दिखाना/दिखलाना	दिखवाना
सीखना	सिखाना/सिखलाना	सिखवाना
सूखना	सुखाना/सुखलाना	सुखवाना
बैठना	बिठाना/बिठलाना	बिठवाना

7) कुछ धातुओं से बने दोनों प्रेरणार्थक रूप एक ही अर्थ का बोध कराते हैं जैसे:-

कटना	कटाना/कटवाना
खुलना	खुलाना/खुलवाना
गड़ना	गड़ाना/गड़वाना
देना	दिलाना/दिलवाना
बँधना	बँधाना/बँधवाना
रखना	रखना/रखवाना
सिलना	सिलाना/सिलवाना

8) कुछ प्रेरणार्थक धातुओं के मूल रूप अज्ञात हैं । यथा : जताना (वा जतलाना) फुसलना गँवाना

अकर्मक धातुओं को सकर्मक बनाने के नियम निम्नलिखित हैं :-

i) धातु का आद्य स्वर दीर्घ करने से - जैसे :-

कटना-काटना, बँधना-बाँधना, पिटना-पीटना, लुटना-लूटना, मरना-मारना, पटना-पाटना, पिसना-पीसना,

'सिलना' का सकर्मक रूप 'सीना' होता है ।

ii) तीन अक्षरोंवाले धातु में दूसरे अक्षर का स्वर दीर्घ करने से जैसे :-

निकलना-निकालना, सम्हलना-सम्हालना

उखड़ना-उखाड़ना, बिगड़ना-बिगाड़ना

i. धातुओं के आद्य इ / उ को गुण करने से जैसे :-

फिरना - फेरना,	खुलना - खोलना
दिखना - देखना,	घुलना - घोलना
छिदना - छेदना,	मुड़ना - मोड़ना

iv) कई धातुओं के अंत्य 'ट' के स्थान पर 'ड़' करने से जैसे :

जुटना - जोड़ना,	टूटना-तोड़ना
छुटना - छोड़ना,	फटना - फाड़ना
लूटना - फोड़ना	

v) 'बिकना' का सकर्मक रूप 'बेचना' और 'रहना' का सकर्मक रूप 'रखना' होता है । (का. प्र. गुरु कृत हिन्दी व्याकरण)

vi) कुछ धातु स्वरूपतः प्रेरणार्थक जैसे लगते हैं, पर वे मूलतः अकर्मक अथवा सकर्मक हैं । जैसे :- कुम्हलाना, घबराना, मचलाना, इठलाना इत्यादि ।

vii) कुछ धातुओं का सकर्मक और प्रथम प्रेरणार्थक रूप अलग अलग होता है और दोनों का अर्थ भी अलग होता है । जैसे :-

धातु	सकर्मक	पहला प्रेरणार्थक
गड़ना	गाड़ना	गड़ाना
दबना	दाबना	दबाना

'गड़ाना' का अर्थ 'धरती के भीतर रखना' है। 'गाड़ना' का अर्थ 'चुभाना' है।

7.2.2.6 नामधातु

धातु को छोड़कर दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाये जाते हैं उन्हें नामधातु कहते हैं । ये धातु तीन वर्गों मे रखे जा सकते हैं । यथा :

i) संज्ञा से बने नामधातु -

हाथ - हथियाना, बात - बताना
खर्च - खर्चना, दाग - दागना
दुःख - दुखाना, लाठी - लठियाना
रिस - रिसाना, पानी - पनियाना

ii) विशेषण से बने नामधातु -

चिकना - चिकनाना, आधा - अधियाना
दोहरा - दोहराना, अपना - अपनाना ।

iii) अव्यय से बने नामधातु -

ऊपर - उपराना, अलग - अलगाना

7.2.2.7 अनुकरणधातु

किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनाये जाते हैं, उन्हें अनुकरणधातु कहते हैं । ध्वनिसूचक शब्द के अंत में 'आ' करके 'ना' जोड़ने से ये धातु बनते हैं । जैसे -

खटखट - खटखटाना,	फटफट - फटफटाना
मनमन - मनमनाना,	थरथर - थरथराना
ठकठक - ठकठकाना,	चमचम - चमचमाना
मचमच - मचमचाना,	टर्र - टर्राना
बड़बड़ - बड़बड़ाना,	भनभन - भनभनाना ।

7.2.2.8 संयुक्त धातु

संयुक्त धातु कुछ कृदन्तों की सहायता से बनाये जाते हैं । करने लगना, जा सकना, मार देना - आदि इसके उदाहरण हैं । वास्तव में प्रयोग के आधार पर इन्हें 'संयुक्त धातु' न कहकर ' संयुक्त क्रिया ' कहना संगत होगा । आगे संयुक्त क्रियाओं पर विचार किया जाएगा ।

7.2.2.9 सारांश

इस इकाई में आपने धातु और क्रिया के बारे में पढ़ा है । इसके प्रमुख अंश इस प्रकार हैं :-

- जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं ।
- क्रिया वह विकारी शब्द है, जिससे किसीका कुछ करना या होना ज्ञात हो ।
- क्रिया का मूल रूप 'धातु' कहलाता है ।
- क्रियापद को 'विधेय' कहते हैं ।
- क्रियापद जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में विधान करते हैं उसके सूचक संज्ञा या संज्ञातुल्य पद को 'उद्देश्य' कहते हैं ।
- क्रिया के साधारण रूप को 'क्रियार्थक संज्ञा' कहते हैं ।

- व्युत्पत्ति के अनुसार धातु के दो भेद हैं - मूल धातु और यौगिक धातु ।
- मूल धातु के दो भेद हैं - अकर्मक और सकर्मक ।
- यौगिक धातु के तीन भेद हैं - i) सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातु, ii) नामधातु और iii) संयुक्त धातु ।
- जिस धातु से सूचित होनेवाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है, उसे सकर्मक धातु कहते हैं ।
- जिस क्रिया का कर्म न हो, तथा जिसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक धातु कहते हैं ।
- मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसीकी प्रेरणा समझी जाती है, उसे प्रेरणार्थक धातु कहते हैं ।

7.3 बोध - प्रश्न

i) क्रिया और धातु में क्या अंतर है ?

ii) टिप्पणी लिखिए :

क) मूल धातु, ख) यौगिक धातु, ग) अकर्मक धातु,
घ) सकर्मक धातु, च) प्रेरणार्थक धातु, छ) नामधातु,
ज) अनुकरण धातु

7.4 बोध-प्रश्नों के उत्तर

i) देखिए उपपाठ 7.2.1

ii) क) देखिए उपपाठ 7.2.2.1 ख) 7.2.2.2 ग) 7.2.2.3 घ) 7.2.2.4
च) 7.2.2.5 छ) 7.2.2.6 ज) 7.2.2.7

7.5 परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

धातु की परिभाषा देते हुए, उसके भेदोपभेदों का सोदाहरण विवेचन कीजिए ।

7.6 उत्तर-संकेत

देखिए उपपाठ 7.2.1 से 7.2.2.8 तक ।

7.7 अध्ययन - सामग्री

1) हिन्दी व्याकरण - कामता प्रसाद गुरु

2) परिष्कृत हिन्दी व्याकरण - बदरीनाथ कपूर

3) शिक्षार्थी हिन्दी व्याकरण - प्रो. ना. नागप्पा

4) मानक हिन्दी व्याकरण और रचना - डा. हरिवंश तरुण

5) भाषा भास्कर - पाद्री एथरिंगटन

इकाई - 8
संयुक्त क्रिया

इकाई की रूपरेखा

8.0 - उद्देश्य

8.1 - प्रस्तावना

8.2 - मूल पाठ : संयुक्त क्रिया

8.2.1 - संयुक्त क्रिया की परिभाषा

8.2.2 - संयुक्त क्रिया के भेद

8.2.2.1 - रूपाधारित वर्गीकरण

8.2.2.1.1 - क्रियार्थक संज्ञा के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ।

8.2.2.1.2 - वर्तमानकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ ।

8.2.2.1.3 - भूतकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ।

8.2.2.1.4 - पूर्वकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ।

8.2.2.1.5 - अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ।

8.2.2.1.6 - पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ।

8.2.2.1.7 - संज्ञा या विशेषण से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ ।

8.2.2.1.8 - पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ ।

8.2.2.2 - अर्थाधारित वर्गीकरण

8.2.2.2.1 - पाद्री एथरिंगटन के अनुसार

8.2.2.2.2 - डा. हरदेव बाहरी के अनुसार

8.2.2.2.3 - डा. हरिवंश तरुण के अनुसार

8.2.2.2.4 - प्रो. नागप्पा के अनुसार

8.2.2.2.4.1 - पहले भाग के अनुसार वर्गीकरण

8.2.2.2.4.2 - दूसरे भाग के अनुसार वर्गीकरण

8.2.2.3 - कर्माधारित वर्गीकरण

8.2.2.4 - सारांश

8.2.2.5 - बोध-प्रश्न

8.2.2.6 - बोध-प्रश्नों के उत्तर-संकेत

8.2.2.7 - परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

8.2.2.8 - उत्तर संकेत

8.2.2.9 - अध्ययन - सामग्री

8.0 उद्देश्य :

क्रिया की भाँति संयुक्त क्रिया भी भाषा की संरचना में अपना योगदान देती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अधोरेखांकित शब्दों की ओर ध्यान दीजिए: "जून का महीना था, कुओं का पानी पाताल तक चला गया था । आस पास के सब गढ़े और तालाव सूख गए थे । केवल इसी बड़े तालाब में पानी रह गया था । ठीक उसी समय गौस खाँ ने उस तालाब का पानी रोक दिया । दो चपरासी किनारे पर आकर डट गए और पशुओं को मार-मारकर भगाने लगे ।" (प्रेमचंद- प्रेमाश्रम - भाग 26 से) इन संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग से विशिष्ट अर्थ की प्रतिति होती है । इस इकाई का उद्देश्य है - 'संयुक्त क्रिया' को परिभाषित करना, वर्गीकृत करना और सोदाहरण विश्लेषित करना । हिन्दी की वाक्य-संरचनाओं की जानकारी के लिए संयुक्त क्रिया पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है ।

8.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में संयुक्त क्रिया की परिभाषा, स्वरूप और प्रकारों पर विचार किया जाएगा । रूप के आधार पर संयुक्त क्रिया के आठ भेद प्रस्तुत किये जाएँगे। उसके पश्चात् संयुक्त क्रियाओं का अर्थाधारित वर्गीकरण भी किया जाएगा। जैसे शक्यता-बोधक संयुक्त क्रिया ('पाना' 'सकना' के योग से) उदाहरणार्थ - "तुम मुझे अब देखो तो शायद पहचान भी न सको ।" (दो सखियाँ : प्रेमचंद) इस वाक्य में 'पहचान सकना' शक्यता-बोधक संयुक्त क्रिया है ।

8.2 मूल पाठ : संयुक्त क्रिया

इस इकाई में संयुक्त क्रिया की रचना और अर्थ-सौष्ठव को प्रस्तुत किया जाएगा। "जो क्रिया किसी क्रिया अथवा संज्ञादि शब्द के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं ।" (हिन्दी का सामान्य ज्ञान: भाग 1 - डा. हरदेव बाहरी) भेज देना, हो जाना, कर देना, स्वीकार कर लेना, आ पड़ना, रह जाना, सिटपिटा जाना, कर सकना, रख लेना, बन्द कर देना, काट डालना - आदि संयुक्त क्रियाए हैं । प्रस्तुत इकाई में संयुक्त क्रिया के कई सूक्ष्म भेदों का निरूपण है ।

8.2.1 संयुक्त क्रिया की परिभाषा

हम देख चुके हैं कि संयुक्त क्रिया की संरचना में कम से कम दो शब्दों का योग रहता है । जैसे -

"पृथ्वीसिंह यह सुनकर जमीन पर बैठ गए और रोने लगे ।" (पाप का अग्निकुण्ड - प्रेमचंद)

उपर्युक्त उदाहरणों में बैठ + जा और रो + लग इन शब्दों (धातुओं) का योग पाया जाता है ।

"संयुक्त क्रिया" को विभिन्न वैयाकरणों ने परिभाषित किया है । यथा -

i) धातुओं के कुछ विशेष कृदंतों के आगे (विशेष अर्थ में) कोई कोई क्रियाएँ जोड़ने से जो क्रियाएँ बनती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं; जैसे 'करने लगना', 'जा सकना', 'मार देना' इत्यादि । इन उदाहरणों में 'करने', 'मार', 'जा' कृदंत हैं और इनके आगे 'लगना', 'सकना', 'देना' क्रियाएँ जोड़ी गई हैं । संयुक्त क्रियाओं में मुख्य क्रिया का कोई कृदंत रहता है और सहकारी क्रिया के काल के रूप रहते हैं । (हिन्दी व्याकरण : कामता प्रसाद गुरु)

ii) "हिन्दी में अनेक क्रिया होती है जो क्रियाओं से मिलके आती हैं और नवीन अर्थ को बोधन करती हैं । ऐसी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं । संयुक्त क्रिया में प्रायः दो भिन्न क्रिया होती हैं, परन्तु कहीं तीन तीन हो जाती हैं । चेत रखना चाहिए कि संयुक्त क्रिया के आदि की क्रिया मुख्य है । उसीसे संयुक्त क्रिया का अर्थ समझा जाता है और उसीके अनुसार संयुक्त क्रिया अकर्मक वा सकर्मक जानी जाती है ।" (पाद्री एथरिंगटन् : भाषा भास्कर)

iii) "दो क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं ।" (मानक हिन्दी व्याकरण और रचना : डा. हरिवंश तरुण)

iv) "जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं ।

'घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुँच गया ।' इन वाक्यों में "रो चुका" "रोने लगा" "पहुँच गया" - संयुक्त क्रियाएँ हैं । विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद दो या अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं, किन्तु संयुक्त क्रियाएँ इनसे भिन्न हैं । क्योंकि जहाँ एक ओर साधारण

क्रियापद 'हो' 'रो' 'सो' 'खा' इत्यादि धातुओं से बनते हैं, वहाँ दूसरी ओर संयुक्त क्रियाएँ 'होना' 'आना' 'जाना' 'रहना' 'रखना' 'उठाना' 'लेना' 'पाना' 'पड़ना' 'डालना' 'सकना' 'चुकना' 'लगना' 'करना' 'भेजना' 'चाहना' - इत्यादि क्रियाओं के योग से बनती हैं ।" (आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना : डा. वासुदेवनन्दन प्रसाद)

v) जब दो या दो से अधिक धातुओं अथवा क्रिया-रूपों के योग से तथा नामपद और धातु या क्रिया-रूप के योग से क्रियापद बनता है तो उसे संयुक्त क्रियापद कहते हैं; जैसे -

क) राम चला जाएगा ।

('चल' तथा 'जा' धातुओं से बना संयुक्त क्रियापद)

ख) मोहन सो रहा था ।

('सो' तथा 'रह' धातुओं से बना संयुक्त क्रियापद)

ग) उसने मेरा मत स्वीकार किया ।

('स्वीकार' नामपद और 'कर' धातु से बना संयुक्त क्रियापद)

घ) डाक्टर ने लड़के को अच्छा किया ।

('अच्छा' विशेषण और 'कर' धातु से बना संयुक्त क्रियापद) .....

(परिष्कृत हिन्दी व्याकरण : बदरीनाथ कपूर

उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुशीलन से संयुक्त क्रिया का स्वरूप विदित होता है। "करना' हिन्दी का एक ऐसा क्रियाकर (verbalizer) है जो अंग्रेजी की सैकड़ों क्रियाओं को अपने आप में समेट लेता है और संयुक्त क्रियाओं के निर्माण में सहायक बनता है । जैसे -

to approve - अनुमोदित करना	to appoint - नियुक्त करना
to attest - सत्यापित करना	to allot - आबंटित करना
to forward - अग्रेषित करना	to notify - अधिसूचित करना
to send - प्रेषित करना	to suspend - निलंबित करना
to type - टंकित करना	to pay - भुगतान करना
to submit - प्रस्तुत करना	

'करना' क्रियाकर का व्यापक प्रयोग सामान्य भाषा तथा साहित्यिक भाषा में भी पाया जाता है । जैसे - भस्म करना, स्वीकार करना, क्षमा करना, प्रकट

करना, प्रकाशित करना, याद करना, कंण्ठस्थ करना - इत्यादि ।" ('जिज्ञासा के क्षण' - डा. वी. डी. हेगडे, पृ. 72)

संयुक्त क्रिया की रचना-प्रक्रिया को निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है :-

संयुक्त क्रिया
1. क्रिया + क्रिया =
1.1 धातु + क्रिया = रो उठा, पूछ बैठा, सुना दो, चल निकला ।
1.2 वर्तमान कृदंत + क्रिया = पढ़ता रहा, लिखती जाती है, चलता रहता है।
1.3 भूत कृदंत + क्रिया = चला जाता है, देखा करें, कहा करते हैं, सुना जाता है।
1.4 संज्ञार्थक क्रिया + क्रिया = जाना चाहता है, लेना चाहिए, सोना होगा, बोलना पड़ता है, करने लगता है, जाने दो।
2. संज्ञा + क्रिया = आरंभ करना, पता लगाना, त्याग करना, क्षमा करना ।
3. विशेषण + क्रिया = नष्ट करना, प्रकट होना ।
4. क्रियाविशेषण + क्रिया = दूर हटना, आगे बढ़ना

संयुक्त क्रियाओं में दो से अधिक क्रियाओं का संयोग भी पाया जाता है । जैसे:- कर लेना चाहिए, कर लेना चाहता हूँ, करना पड़ रहा है, उठा ले जा सकता है, समझा जाने लगा था, कर डाला जाएगा, लाया जा चुका था, इत्यादि ।

8.2.2 संयुक्त क्रिया के भेद

संयुक्त क्रियाओं के रूप और अर्थ उनके वर्गीकरण के आधार हैं । कर्म के आधार पर भी उनका वर्गीकरण हो सकता है । आगे संयुक्त क्रियाओं के रूपाधारित वर्गीकरण, अर्थाधारित वर्गीकरण और कर्माधारित वर्गीकरण सोदाहरण प्रस्तुत किये जाएँगे ।

8.2.2.1 रूपाधारित वर्गीकरण

जो वर्गीकरण रूप पर आधारित है, वह रूपाधारित वर्गीकरण कहलाता है। संयुक्त क्रिया की रूपरचना अथवा बनावट इस वर्गीकरण का आधार है । पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार रूपाधारित संयुक्त क्रियाएँ आठ प्रकार की होती हैं ।

१) क्रियार्थक संज्ञा के मेल से बनी हुई ।
२) वर्तमानकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई ।
३) भूतकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई ।
४) पूर्वकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई ।
५) अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई ।
६) पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई ।
७) संज्ञा या विशेषण से बनी हुई ।
९) पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ ।

8.2.2.1.1 क्रियार्थक संज्ञा के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ

उक्त संयुक्त क्रियाओं में क्रियार्थक संज्ञा दो रूपों में आती है - 1) साधारण रूप में और 2) विकृत रूप में । साधारण रूप के साथ 'पड़ना' 'होना' 'चाहिए' जोड़ने से आवश्यकताबोधक संयुक्त क्रिया बनती है; जैसे - करना पड़ेगा, करना होगा, करना चाहिए । जब इन संयुक्त क्रियाओं में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग विशेषण के समान होता है, तब ये विशेष्य के लिंग, वचन के अनुसार बदलती हैं; जैसे - "गरीबों की मदद करनी चाहिए । उसे जेल की हवा खानी पड़ी ।" यह नियम केवल सकर्मक धातुओं से बनी क्रियार्थक संज्ञाओं के साधारण रूप को लागू होता है ।

क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप से तीन प्रकार की संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं जिनको अर्थाधारित वर्गीकरण के अन्तर्गत रखा जा सकता है । संक्षेप में उनकी संरचना निम्नलिखित है :

क्रियार्थक संज्ञा का विकृत रूप	+ सहायक क्रिया =	संयुक्त क्रिया	उदाहरण
1. क्रियार्थक संज्ञा + लगाना का विकृत रूप	=	आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया	जाने लगना गाने लगना बोलने लगना समझने लगना
2. क्रियार्थक संज्ञा + देना का विकृत रूप	=	अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया	जाने दो । रहने दीजिए। बोलने न दिया।
3. क्रियार्थक संज्ञा + पाना का विकृत रूप	=	अवकाशबोधक संयुक्त क्रिया	वह मुश्किल से सोने पाया। जाने न पाया।

8.2.2.1.2 वर्तमानकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ

वर्तमानकालिक कृदंत के आगे 'आना' 'जाना' 'रहना' जोड़ने से नित्यताबोधक संयुक्त क्रिया बनती है । इस क्रिया में कृदंत (या संयुक्त क्रिया) के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदलते हैं; जैसे :

"यह बात सनातन से होती आती है ।"

"पेड़ बढ़ता गया ।"

"पानी बरसता रहेगा ।"

"रहना" के सामान्य भविष्यत्काल से क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है; जैसे:

"जब तुम आओगे तब हम लिखते रहेंगे ।"

8.2.2.1.3 भूतकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ

अकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत के आगे 'जाना' क्रिया जोड़ने से तत्परताबोधक संयुक्त क्रिया बनती है । यह क्रिया केवल वर्तमानकालिक कृदंत से बने हुए कालों में आती है; जैसे :-

लड़का आया जाता है ।

मारे बू के सिर फटा जाता था ।

मेरे रोंगटे खड़े हुए जाते हैं ।

भूतकालिक कृदंत के आगे 'करना' जोड़ने से अभ्यासबोधक क्रिया बनती है; जैसे-

"वह पढ़ा करता है ।

मैं सबेरे टहला करता हूँ ।

कभी-कभी ऐसे ही आया करो ।"

भूतकालिक कृदंत के आगे 'चाहना' जोड़ने से इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया बनती है; जैसे -

"तुम किया चाहोगे तो सफ़ाई होनी कौन कठिन है ? (परीक्षागुरुः लाला श्रीनिवासदास)

"हम तुम्हें एक अपने निज के काम से भेजा चाहते हैं ।" (मुद्राराक्षसः भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)

"मैं कुछ काम किया चाहता हूँ ।"

"तुम उनसे मिला चाहते हो ।"

"वे मुझे बुलाया चाहते हैं ।"

क्रियार्थक संज्ञा के साथ "चाहना" जोड़ा जाता है; जैसे :-

"मैं उसे वहाँ जाने से रोकना चाहता हूँ ।"

"मैं ने उसे देखना चाहा ।"

"मैं ने उसे देखा चाहा" के बदले "मैं ने उसे देखना चाहा" अधिक प्रयुक्त है। अभ्यासबोधक और इच्छाबोधक संयुक्त क्रियाओं में 'जाना' का भूतकालिक कृदंत 'गया' के बदले 'जाया' होता है; जैसे :-

"वे जाया करते हैं ।"

"वे जाया चाहते हैं ।"

8.2.2.1.4 पूर्वकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई - संयुक्त क्रियाएँ

पूर्वकालिक कृदंत के योग से तीन प्रकार की संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं जो निम्नवर्ती हैं :-

1. अवधारण बोधक संयुक्त क्रियाएँ

i) अचानकता के अर्थ में 'उठना' का सह प्रयोग; जैसे :-
बोल उठना, चिल्ला उठना, रो उठना, चौंक उठना - इत्यादि ।

ii) धृष्टता के अर्थ में 'बैठना' का सहप्रयोग; जैसे :-
मार बैठना, कह बैठना, चढ़ बैठना, खो बैठना ।

iii) 'उठना' के साथ 'बैठना' का अर्थ अचानकता है । जैसे :-
"वह उठ बैठा ।"

iv) 'शीघ्रता' के अर्थ में 'जाना' सहायक क्रिया आती है; जैसे :-
कुचल जाना, खो जाना, छा जाना, सो जाना, भूल जाना, खिल जाना, पहुँच जाना - इत्यादि ।

v) वक्ता की और क्रिया का व्यापार सूचित करने के लिए 'लेना' सहायक क्रिया आती है । जैसे :-
खा लेना, पी लेना, कर लेना, सुन लेना, छीन लेना - इत्यादि

vi) 'शीघ्रता' के अर्थ में 'पड़ना' का प्रयोग; जैसे :-
कूद पड़ना, चौंक पड़ना, गिर पड़ना, हँस पड़ना - इत्यादि ।

vii) दूसरे की ओर क्रिया का व्यापार सूचित करने के लिए 'देना' का प्रयोग; जैसे:- कह देना, छोड़ देना, कर देना, जोड़ देना, मार देना - इत्यादि ।

viii) 'उग्रता' के अर्थ में 'डालना' का प्रयोग; जैसे :- काट डालना, तोड़ डालना, कर डालना, फाड़ डालना - इत्यादि ।

ix) 'रखना' प्रायः 'लेना' के समान है । जैसे :- समझ रखना, रोक रखना आदि।

x) 'निकलना' का अर्थ प्रायः 'पड़ना' के समान है; जैसे :- चल निकलना, आ निकलना - इत्यादि ।

2) शक्तिबोधक संयुक्त क्रियाएँ

पूर्वकालिक कृदंत + 'सकना' = शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया जैसे :- खा सकना, मार सकना, दौड़ सकना - इत्यादि ।

अंग्रेजी के प्रभाव से शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया का प्रयोग आज्ञार्थ में भी होता है । जैसे :-
"तुम जा सकते हो ।" ('तुम जाओ' के अर्थ में)
"वह जा सकता है ।" ('वह जाए' के अर्थ में)

3) पूर्णताबोधक संयुक्त क्रियाएँ

'चुकना' क्रिया के योग से पूर्णता बोधक संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं; जैसे :- खा चुकना, दौड़ चुकना, पढ़ चुकना - आदि । 'चुकना' क्रिया के सामान्य भविष्यत्काल में अंग्रेजी के पूर्ण भविष्यत् काल का बोध होता है; जैसे :

उस समय वह खा चुकेगा ।

आपके आने तक वह लिख चुकेगा ।

8.2.2.1.5 अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ

अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के आगे 'बनना' क्रिया जोड़ने से योग्यताबोधक संयुक्त क्रिया बनती है; जैसे :

"उससे चलते नहीं बनता ।

लड़के से किताब पढ़ते नहीं बनता ।"

उससे आते बना । ('पराधीनता' के अर्थ में)

यह छबि देखते ही बनती है । ('आश्चर्य' के अर्थ में)

रोगी से चलते बनता है ।

उससे पढ़ते न बनेगा ।

8.2.2.1.6 पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ

पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के योग से दो प्रकार की संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं - निरंतरताबोधक और निश्चयबोधक ।

सकर्मक क्रियाओं के पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के साथ 'जाना' क्रिया के योग से निरंतरताबोधक संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है; जैसे :-

वह मुझे निगले जाता है ।

इस लता को क्यों छोड़े जाता है ।

लड़की वह काम किये जाती है ।

(यह क्रिया बहुधा वर्तमानकालिक कृदंत से बने हुए कालों में और विधि कालों में आती है ।)

पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के साथ 'लेना' 'देना' 'डालना' 'बैठना' : इन अवधारणार्थक सहायक क्रियाओं को जोड़ने से निश्चयबोधक संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं । ये क्रियाएँ बहुधा सकर्मक क्रियाओं के वर्तमानकालिक कृदंत से बने हुए कालों में ही आती हैं । यथा :-

मैं यह पुस्तक लिये लेता हूँ ।
वह कपड़ा दिये देता है ।
हम कुछ कहे देते हैं ।
वह मुझे मारे डालता है ।

8.2.2.1.7 संज्ञा या विशेषण से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ

संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं, जैसे :- भस्म होना, भस्म करना, स्मरण होना, नाश करना - इत्यादि नामबोधक संयुक्त क्रियाओं में 'करना' 'होना' 'देना' क्रियाएँ आती हैं; जैसे :-

करना

स्वीकार करना, अंगीकार करना, क्षमा करना, आरंभ करना, ग्रहण करना, श्रवण करना, उपार्जन करना, त्याग करना ।

होना

स्वीकार होना, याद होना, आरंभ होना, भस्म होना, प्रकट होना, बिदा होना ।

देना

दिखाई देना, सुनाई देना, पकड़ाई देना, छुलाई देना, बँधाई देना ।

8.2.2.1.8 पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ

जब दो समान अर्थवाली या समान ध्वनिवाली क्रियाओं का संयोग होता है तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ कहते हैं । जैसे :- पढ़ना-लिखना, करना-धरना, समझना-बूझना, पूछना-वाछना, खाना-पीना, होना-हवाना, मिलना-जुलना, देखना-भालना - इत्यादि । उपर्युक्त उदाहरणों में केवल यमक (ध्वनि) मिलाने के लिए आयी हुई क्रियाएँ निरर्थक हैं; यथा - वाछना, हवाना, भालना।

8.2.2.2 अर्थाधारित वर्गीकरण

8.2.2.2.1 पाद्री एथरिंगटन ने अपने "भाषा भास्कर" में संयुक्त क्रिया के निम्नवर्ती प्रकारों को प्रस्तुत किया है जो अर्थाधारित हैं ।

	"उदाहरण"
1. अवधारणबोधक	देख आना, बोल उठना, खा जाना, काट डालना, रख देना, गिर पड़ना, मार बैठना, हो रहना, पढ़ लेना, दे देना, ले लेना ।
2. शक्तिबोधक	चल सकना, चढ़ सकना, लिख सकना, बोल सकना, उठ सकना ।
3. पूर्णताबोधक	खा चुकना, मार चुकना, देख चुकना, कह चुकना, हो चुकना, कर चुकना ।
4. नित्यताबोधक	किया करना, दिया करना, देखा करना, कहा करना, आया करना, आया-जाया करना ।
5. इच्छाबोधक	आया चाहना, बोला चाहना, देखा चाहना, मारा चाहना, सीखा चाहना ।
6. आरंभबोधक	आने लगना, चलने लगना, देने लगना, बोने लगना, सोने लगना, होने लगना ।
7. अवकाश बोधक	जाने देना, बोलने देना, सोने देना, आने पाना, उठने पाना, चलने पाना ।

8.2.2.2.2 डा. हरदेव बाहरी के अनुसार

डा. हरदेव बाहरी के अनुसार अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के 14 भेद हैं ।

1. आरम्भ-बोधक

   'लगना' जोड़ने से । पानी बरसने लगा ।

2. समाप्ति-बोधक

   'चुकना' 'लेना' 'देना' 'जाना' लगाने से । घर जल गया ।-काम कर दिया । पैसा पा लिया । वह खा चुका है ।

3. आकस्मिकता-बोधक

'उठना' 'बैठना' 'पड़ना' 'डालना' के योग से ।

वह बीच ही में बोल उठा ।

मैं कह बैठा।

वह गिर पड़ी ।

काम कर डालो ।

4. उग्रता-बोधक

'डालना' के योग से । जैसे :-

मार डाला, फोड़ डालो ।

5. निरन्तरता-बोधक

'जाना' 'रहना' लगाने से । जैसे :-

पानी बरसता रहा ।

वह कहता गया ।

तोता बोलता रहता है ।

6. शक्यता-बोधक

'पाना' 'सकना' के योग से । जैसे :- मैं जा सकता था । वह पढ़ सकता है। मैं कर पाऊँगा ।

7. अभ्यास-बोधक

'करना' के योग से । जैसे :- वह पढ़ा करता है । मैं जाया करता था । तुम लिखा करते हो ।

8. अवकाश-बोधक

'पाना' के योग से । जैसे :- वह जाने न पाया । (तुलना कीजिए - जा न पाया और जाने न पाया ।)

9. अनिष्टता-बोधक

'खाना' 'मारना' लगाने से । जैसे :- उसे कुत्ते ने काट खाया । एक चिट्ठी लिख मारी ।

10. इच्छा-बोधक

'चाहना' लगाने से । जैसे :- मैं जाना चाहता हूँ ।

11. अनुमति-बोधक

'देना' लगाने से । जैसे :- मुझे आने दो । उसे करने दिया गया । (तुलना कीजिए - चल दिया, चलने दिया।)

12. आवश्यकता - बोधक

'पड़ना' 'होना' 'चाहिए' के योग से । जैसे :-यह काम करना पड़ेगा । उसे जाना चाहिए । उसे लेना होगा ।

13. क्रमबोधक-अतिशयबोधक

क्रिया की द्विरुक्ति से व्यापार के क्रम अथवा अतिशय का बोध होता है। जैसे:-

पढ़ते-पढ़ते सो गया । कहती-कहती चली गई ।

चली-चली वहाँ जा पहुँची । बैठे बैठे थक गया ।

14. संज्ञार्थ-प्रधान संयुक्त क्रियाएँ

संज्ञा आदि के साथ संयुक्त क्रिया में संज्ञा आदि का अर्थ प्रधान रहता है। जैसे:-

आदर करना, भस्म होना, ढीला पड़ना, अपना बनाना । (पं. कामता प्रसाद गुरु ने इसे 'नामबोधक संयुक्त क्रिया' कहा है ।

8.2.2.2.3 डा. हरिवंश तरुण के अनुसार

डा. हरिवंश तरुण ने संयुक्त क्रिया के ग्यारह भेद माने हैं । यथा -

i) आरम्भ-बोधक

मुख्य क्रिया के आरंभ होने का बोधक । यथा - वह खाने लगा । सीता पढ़ने लगी ।

ii) समाप्ति - बोधक

मुख्य क्रिया के पूरा होने, कार्य की समाप्ति का बोधक । यथा - राधा चिट्ठी लिख चुकी है । वह किताब पढ़ चुका है ।

iii) अवकाश - बोधक

यह क्रिया को पूरा करने के लिए अवकाश का बोध करानेवाली है । यथा-

वह देर से खाने गया । सकने न पाया ।

राधा कठिनाई से सोने गई । खेल न सकी ।

iv) अनुमतिबोधक

यह कार्य करने की अनुमति का बोध कराती है ।

यथा - उसे खेलने दो । मुझे पढ़ने दो ।

v) नित्यताबोधक

इससे कार्य की निरंतरता का बोध होता है। यथा - पानी गिर रहा है । हवा चल रही है ।

vi) आवश्यकताबोधक

इससे कार्य की आवश्यकता का बोध होता है । यथा - यह काम मुझे करना पड़ा। उसे घर जाना पड़ेगा ।

vii) निश्चयबोधक

इससे मुख्य क्रिया के व्यापार के निश्चित रूप से होने का बोध होता है । यथा-

मैं ने किताब पढ़ डाली । वह पेड़ से गिर पड़ा ।'

('वह पेड़ से गिर पड़ा' - यहाँ आकस्मिकता का बोध भी होता है ।)

viii) इच्छाबोधक

इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है । यथा -

वह अब पढ़ना चाहता है ।

मैं अब खेलना चाहता हूँ ।

ix) अभ्यासबोधक

इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है ।

यथा - मैं कसरत किया करता हूँ ।

वे खूब पढ़ा करते थे ।

x) शक्तिबोधक

इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है । यथा - मैं खेल सकता हूँ।

सीता गा सकती है ।

xi) पुनरुक्त संयुक्त क्रिया

इसमें दो समान ध्वनिवाली अथवा समानार्थक क्रियाओं का मेल होता है। यथा-

सीता खेलती-कूदती रहती है ।

इसी तरह बराबर आते-जाते रहो ।

आपस में मिलते-जुलते रहने से संबंध अच्छा रहता है ।

8.2.2.2.4 प्रो. नागप्पा के अनुसार

प्रो. नागप्पा के अनुसार संयुक्त क्रिया के दो भाग होते हैं - पहला व्यापार-बोधक, दूसरा रंजक ।

8.2.2.2.4.1 पहले भाग के अनुसार वर्गीकरण

वर्ग । बलार्थक संयुक्त क्रिया

इसका प्रथम अंग पूर्वकालिक कृदंत है । यथा -

1) "यात्रा में जो मिले वही मैं खा लेता हूँ ।" (मज़बूरी)
2) मैं इन दिनों उपन्यास भी पढ़ लेता हूँ । (मनोरंजन हेतु)
3) ज़िद करने पर याचक को कुछ दे भी देता हूँ । (बेबसी हेतु)
4) कभी कभी 'धर्मयुग' में 'बैठे ठाले' का भी स्तम्भ पढ़ लेता हूँ । (समय काटने के भाव से पढ़ना)
5) वह बैठा रहा - सहसा उठकर चल दिया । (कोई बात याद आई - उठकर चला।)
6) जमीन जैजात (जायदाद) पर कब्जा कर लिया । (जबर्दस्ती)
("कब तक पुकारू" रांगेय राघव, पृ. 359)
7) बिजली गिरते ही बच्चा चौंक पड़ा । (आकस्मिकता)

वर्ग ॥ शक्यताबोधक संयुक्त क्रिया

पूर्वकालिक कृदंत + 'सक' / 'पा' धातु का रूप

1) मैं गा सकता हूँ ।
2) वह शाम तक नहीं आ पाएगा ।
3) मैं अपना काम कर नहीं पाया ।

वर्ग ॥। पूर्णताबोधक संयुक्त क्रिया

पूर्वकालिक कृदंत + 'चुक' धातु का रूप

1) मैं पत्र लिख चुका, अब चलूँगा ।
2) मैं समाचारपत्र पढ़ चुका, लो तुम पढ़ो ।

8.2.2.2.4.2 दूसरे भाग के अनुसार वर्गीकरण

दूसरे भाग के अनुसार संयुक्त क्रिया के छः भेद हैं । यथा -

1 **निरन्तरताबोधक संयुक्त क्रियाएँ**

वर्तमानकालिक कृदंत, + 'रह' धातु का रूप

i) वह हँसता रहता है । (निरन्तरता)

ii) वह बोलता रहता है । (बराबर बोलता जाता है, रुकता ही नहीं।)

भूतकालिक कृदंत + 'रह' धातु का रूप

i) तुम्हारे साथ आशीष बनी रहे । (शुभ कामना की अभिव्यक्ति)

ii) किताब मेज़ पर रखी रही । (रखी थी।)

2 **इच्छार्थक संयुक्त क्रियाएँ**

भूतकालिक विकारी कृदंत + चाहना

बच्चा कुछ बोला चाहता है । (बोलने की आतुरता)

3 **पौनः पुन्यवाचक संयुक्त क्रियाएँ**

भूतकालिक कृदंत + करना

i) वह रोज़ इधर आया करता था, अब नहीं आता । (आगमन का पौनःपुन्य)

ii) अपना पाठ ध्यान से पढ़ा करो । (एकाग्रत)

4 **प्रारंभिकता बोधक संयुक्त क्रियाएँ**

क्रियार्थक संज्ञा का विकारी रूप + 'लगना'

वह पढ़ने लगा, । (पढ़ना शुरु किया)

5 **प्रगतिबोधक संयुक्त क्रियाएँ**

वर्तमाकालिक कृदंत अथवा भूतकालिक कृदंत + 'जाना'

नदी बढ़ती जाती थी ।

रात में सोया जाता है ।

6 **गत्यर्थक संयुक्त क्रियाएँ (वर्तमानकालिक अविकारी कृदंत + गत्यर्थक धातु)**

हाथी झूमते हुए चलता है ।

वह रोते हुए आई ।

8.2.2.3 कर्माधारित वर्गीकरण

'कर्म' के आधार पर संयुक्त क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं: यथा :

i) अकर्मक संयुक्त क्रियाएँ

जाना पड़ना, होने लगना, गिर पड़ना, जा सकना - इत्यादि

ii) सकर्मक संयुक्त क्रियाएँ

पढ़ना चाहना, कर डालना, लिखने देना - इत्यादि । मुख्य क्रियापद धातु रूप में हो तो निम्नलिखित 16 धातुओं से बने सहकारी क्रियापद विभिन्न कालों में आते हैं । यथा :

सकर्मक धातु

डाल, दे, ले, रख ।

अकर्मक धातु

आ, उठ, चल, चुक, जा, निकल, पड़, पा, बैठ, मर, रह, सक ।

8.2.2.4 सारांश

- संयुक्त क्रिया के दो भाग होते हैं - (प्रथम भाग) मुख्य क्रिया और (द्वितीय भाग) सहकारी क्रिया ।
- 'बच्चा गिर पड़ा ।' इसमें 'गिर' मुख्य क्रिया है और 'पड़ा' सहकारी क्रिया है । "गिर पड़ा" संयुक्त क्रिया है ।
- संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया का अर्थ प्रधान होता है और सहकारी क्रिया अपने सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होती है ।
- निम्नलिखित सहकारी क्रियाओं के योग से संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं । यथा : (बदरीनाथ कपूर के अनुसार अर्थ विवरण)

सहकारी क्रिया	विशिष्ट अर्थ	सहकारी क्रिया	विशिष्ट अर्थ
आ	पूर्णत्व, उपस्थिति	पड़	आकस्मिक क्रियाशीलता विवशता
उठ	सहसा होनेवाली उन्मुखता	पा	आंतरिक समर्थता
कर	प्रारंभिकता	बन	अनवरोध
		बैठा	अग्रसरता, सुस्थितता

चल	अग्रसरता, निरंतरता	मर	निश्चयात्मक अप्रिय भाव
चाह	प्रवृत्ति, संकल्प	रख	प्रयोजन
चुक	निष्पादन, पूर्ति	रह	सातत्य, उपक्रम
जा	प्रवृत्ति, अग्रसरता, निरंतरता पूर्णत्व	लग	आरंभ
डाल	तीव्रता	ले	आप्ति
दे	सहयोग, वेग, निष्पन्नता	सक	परिस्थितिजन्य समर्थता
निकल	संचार	हो	स्थिति, प्रयोजन

8.2.2.5 बोध - प्रश्न

i) संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं ?

ii) टिप्पणी लिखिए :

अ) वर्तमानकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ

आ) पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ

8.2.2.6 बोध-प्रश्नों के उत्तर-संकेत

i) देखिए उपपाठ 8.2, 8.2.1

ii) अ) 8.2.2.1.2 आ) 8.2.2.1.8

8.2.2.7 परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

संयुक्त क्रिया की परिभाषा देते हुए, उसके भेदोपभेदों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए ।

8.2.2.8 उत्तर-संकेत

देखिए उपफाठ : 8.2.1, 8.2.2., 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.2.3

8.2.2.9 अध्ययन - सामग्री

1) हिन्दी व्याकरण - कामता प्रसाद गुरु

2) भाषा भास्कर - पाद्री एथरिंगटन्

3) हिन्दी का सामान्य ज्ञान-भाग I - डा. हरदेव बाहरी

4) मानक हिन्दी व्याकरण और रचना - डा. हरिवंश तरुण

5) शिक्षार्थी हिन्दी व्याकरण - प्रो. ना. नागप्पा

6) परिष्कृत हिन्दी व्याकरण - बदरीनाथ कपूर

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕರಾಮುವಿ/ಅಸಾವಿ/4–060/2013–2014 ದಿನಾಂಕ : 24–09–2013
ಒಳಪುಟ : 60 GSM MPM ವೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಹೊರಪುಟ: 170 GSM ಆರ್ಟ್‌ಕಾರ್ಡ್
ಮುದ್ರಕರು : ಅಭಿಮಾನಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು–10 ಪ್ರತಿಗಳು : 1,200

Karnataka State Open University

Manasagangotri Mysore - 570 006

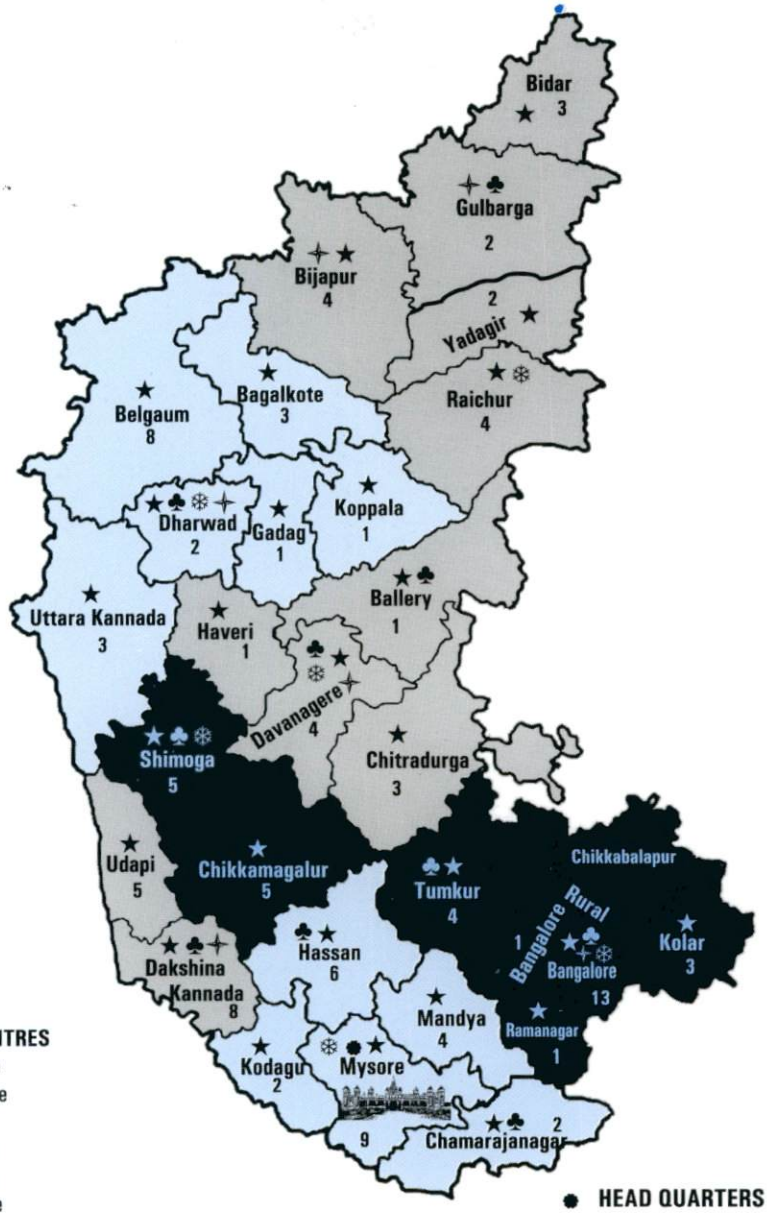

♣ **REGIONAL CENTRES**

Bangalore
Davanagere
Gulbarga
Dharwad
Shimoga
Mangalore
Tumkur
Hassan
Chamarajanagar
Bellary

● **HEAD QUARTERS**
★ **Total Study Centres : 111**
♣ **Regional Centres : 10**
❄ **B.Ed Study Centres : 10**
✦ **M.Ed Study Centres : 08**

Karnataka State Open University

Manasagangothri, Mysore - 570 006.

INSTRUCTIONAL SYSTEM